[2022] 9 एस. सी. आर 150

जाकिर अब्दुल मिराजकर

वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1125)

24 अगस्त, 2022

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और

सूर्या कान्ट, जे. जे.]

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 -

एसएस। 2 (1) (च), 3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4), 3 (5), 18,23 और 427-दंड संहिता

1860 एसएस। 143 , 147 , 149 , 395 , 307 , 353 , 332 , 155 , 109 , 324 , 323 और 427-महाराष्ट्र जुआ निवारण अधिनियम 1887-एस। 4

और 5-महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 - धारा 65 (ई)-बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951-एस। 37 - एस के प्रावधानों की व्याख्या। 18 मकोका

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी इसके सदस्य हैं

एक संगठित अपराध सिंडिकेट जो संचालन द्वारा जनता के सदस्यों को धोखा देने के लिए गतिविधियों के व्यवस्थित पाठ्यक्रम में लगा हुआ है

'मुंबई मटका' (जुआ अड्डा)-पुलिस कर्मियों ने मटका अड्डा में से एक पर छापा मारा-छापा मारने वाले पक्ष के सदस्यों में से एक की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई-जांच के दौरान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपीलकर्ताओं सहित कई अभियुक्तों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति दर्ज की-सक्षम प्राधिकारी ने मकोका के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी-अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया अपीलकर्ताओं ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। (i) एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान। एस. पी.) यू/एस 18 एम. सी. ओ. सी. ए. अभियुक्त के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता है। 18 (1) "पुलिस अधीक्षक के पद से कम नहीं" के लिए एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति होगी

मुकदमे में स्वीकार्य) और (ii) मकोका के प्रावधानों को वैध रूप से लागू नहीं किया गया है-आयोजितः - (i) पद "पद" अभिव्यक्ति को एक वर्ग या श्रेणी के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें कई पद शामिल हैं। - एसपी, एडिशनल के पद। एसपी और डीसीपी सभी एक ही रैंक में आते हैं।

- ((ii) एस के तहत अनुमोदन आदेश। 23 (1) (क) मकोका सम्मान के साथ है।

अपराध के लिए और अपराधी के लिए नहीं-हालाँकि अवैध जुआ एक संगठित अपराध नहीं है, लेकिन यह वह मार्ग हो सकता है जिसके माध्यम से आरोपी

इसलिए अपीलकर्ताओं पर अवैध जुए के आरोप के संबंध में मकोका के तहत दंडनीय कुछ अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है-इसके अलावा, प्रत्येक आरोपी के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1 . इस न्यायालय का विचार है कि "श्रेणी" अभिव्यक्ति को एक वर्ग या श्रेणी के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें शामिल हैं। कई पद। एसपी, एडिशनल के पद। एस. पी. और डी. सी. पी. सभी एक ही पद के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे समान कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हैं और अधिकार के समान क्षेत्रों में काम करते हैं। एक विशेष पद के भीतर प्रत्येक व्यक्ति समान वरिष्ठता का नहीं होगा। एक ही रैंक के अधिकारी अलग-अलग संख्या में सेवा में हो सकते हैं

वर्षों से। कभी-कभी, यह उस पद पर भी लागू हो सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, लेकिन उनका पद अबाधित रहता है। में अंतर किसी विशेष अधिकारी की वरिष्ठता उनके रैंक में अंतर के समान नहीं है। अधिकारियों की वर्दी पर प्रतीक चिन्ह, इस मामले में, उनकी वरिष्ठता के साथ-साथ उनके पदनाम को भी दर्शाता है। [पैरा 63] [197 एफ-जी]

2. धारा 23 (1) (ए) मकोका के तहत अनुमोदन के आदेश में शुरुआत में प्रत्येक आरोपी व्यक्ति का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर, सीमित

अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करते समय जांच अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध होती है। पुलिस द्वारा जाँच के दौरान शुरू में नामित लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। वास्तव में, एक जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या अपराध किया गया है और यदि ऐसा है, तो अपराधियों की पहचान सहित अपराध के विवरण पर प्रकाश डालने के लिए। यह प्रत्येक अपराध के बारे में सच है लेकिन विशेष रूप से संगठित अपराध के मामले में सच है, जहां एक संगठित अपराध सिंडिकेट में विभिन्न क्षमताओं में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

धारा 23 (1) (ए) मकोका संगठित अपराध के अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने की बात करता है, न कि अपराधी के बारे में जानकारी दर्ज करना। सक्षम प्राधिकारी धारा 23 (1) (ए) के तहत जानकारी दर्ज कर सकता है जब यह संतुष्ट हो जाता है कि एक संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा एक संगठित अपराध किया गया है। [पैरा 72] [201-डी-जी] [2022] 9 एस. सी. आर.

3. अपीलार्थियों का निवेदन कि अवैध जुए में शामिल होने का आरोप दंड के आह्वान को कायम नहीं रखेगा

समर्पण में पानी नहीं रहता है। यह तय किया गया कानून है कि संगठित अपराध सिंडिकेट के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर करने की आवश्यकता होती है, न कि प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में जो इस तरह के सिंडिकेट का सदस्य होने का आरोप है। अन्य अदालतों ने भी यह माना है कि जिन व्यक्तियों पर संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य होने का आरोप है, उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एक से अधिक आरोप पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, सम्मान के साथ आरोप पत्र संगठित अपराध सिंडिकेट धारा 2 (1) (डी) की शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। [पैरा 77,79] [204-ई-एफ, एच; 205-ए, जीएच]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। केशव भाऊराव मलिक,

1974 की आपराधिक अपील सं. 835; कर्तार सिंह बनाम। राज्य

पंजाब (1994) 3 एस. सी. सी. 569: [1994] 2 एस. सी. आर. 375; राजस्थान राज्य बनाम अजीत सिंह (2008) 1 एस. सी. सी. 601: [2007] 11 एस. सी. आर. 251; महाराष्ट्र राज्य बनाम। कमाल अहमद

(2013) 12 एससीसी 17: [2013] 5 एस. सी. आर. 128; याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2013) 13 एससीसी

1 : [2013] 15 एस. सी. आर. 1; रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य

(2002) 8 एससीसी 73: [2002] 2 पूरक। एससीआर 247; सुप्रीम

न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। संघ का

भारत (1993) 4 एससीसी 441: [1993] 2 पूरक। एससीआर 659; न्यादार सिंह बनाम। भारत संघ (1988) 4 एससीसी 170:

[1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 546; महाराष्ट्र राज्य बनाम ललित

सोमदत्त नागपाल (2007) 4 एस. सी. सी. 171: [2007] 2 एससीआर

473 ; विनोद जी. असरानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 3 एस. सी. सी. 633 [2007] 2 एस. सी. आर. 1023; कविता लंकेश बनाम।

जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य

कर्नाटक राज्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 956; गोविंद

सखाराम उबे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2009 एससीसी

ऑनलाइन बॉम 770 का उल्लेख किया गया है।

राज्य पुलिस निरीक्षक विशाखापत्तनम बनाम। सूर्य

शंकरम कर्री (2006) 7 एस. सी. सी. 172 [2006] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 229; मध्य प्रदेश राज्य बनाम चुन्नी लाल (2009)

12 एससीसी 649: [2009] 6 एस. सी. आर. 145; मध्य राज्य

प्रदेश बनाम. बब्बू राठौर (2020) 2 एससीसी 577 2020

(1) जे. टी. 243; पंजाब राज्य बनाम। हरदियाल सिंह, (2009) 15 एससीसी 106: [2009] 8 एस. सी. आर. 559-लागू नहीं होता है।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 2 एससीआर 375

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

[2007] 11 एससीआर 251

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

[2013] 5 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2013] 15 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2002] 2 पूरक। एससीआर 247

पैरा 41

संदर्भित किया गया है

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 पूरक। एससीआर 546

पैरा 62

संदर्भित किया गया है

[2006] 5 पूरक। एससीआर 229

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 66

[2009] 6 एससीआर 145

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 67

[2009] 8 एससीआर 559

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 68

[2007] 2 एससीआर 473

संदर्भित किया गया है

पैरा 71

[2007] 2 एससीआर 1023

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

उच्च न्यायालय के 21.04.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की रिट याचिका संख्या 3418 में बॉम्बे में न्यायपालिका की।

के साथ आपराधिक अपील सं। 1127 , 1126 , 1129 , 1128 और 20 में से 1130

अमित देसाई, आबाद पोंडा, सिद्धार्थ लूथरा, प्रदीप राय, सीनियर ए।

संदीप सुधाकर देशमुख, साजिद इम्तियाज महत, इरशाद एम [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री बांसुरी स्वराज, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, आकाश सिंह, निहार धर्माधिकारी, अक्षत कुमार, शीजान हास्मी, निर्निमेश दुबे, कुणाल वर्मा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, स्वप्निल वाघ, अश्विन नायर, सुश्री लावण्या धवन, शीजान हाशमी, कुमार कश्यप, ऋतिक गुप्ता, कुणाल वर्मा, आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, कुणाल वर्मा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, स्वप्निल वाघ, अश्विन कुमार नायर, सुश्री लावण्या धवन, सुश्री दीप्ति आर्य, आदिराज बाली, ऋतिक गुप्ता, सुश्री राजश्री राय, आनंद मिश्रा। नवलेंद्र कुमार, ऋषभ गुप्ता, शेखर कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राजा ठाकरे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए।

पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, आकाश कवाडे, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सामग्री

..... 3 *

ए. तथ्य

8 *

B. मुद्दे

ग. प्रस्तुतियाँ

9 *

डी. विश्लेषण। ... .

18 *

आई. महाराष्ट्र संगठित नियंत्रण का एक अवलोकन

अपराध अधिनियम 1999

..... 18 *

ii. एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान "नीचे नहीं"

पुलिस अधीक्षक का पद ". 22 *

iii. मकोका के आह्वान के लिए शर्तें. 65 *

ए. तथ्य

1. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपीलार्थी एक के सदस्य हैं

संगठित अपराध सिंडिकेट जो 'मुंबई मटका' आयोजित करके जनता के सदस्यों को धोखा देने के लिए गतिविधियों के एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 'मटका' को सरल शब्दों में समझाने के लिए, जो लोग जुआ खेलना चाहते हैं, वे नंबरों/ताश खेलने पर दांव लगाते हैं। चक्र के अंत में, अंकों/ताश खेलने के यादृच्छिक ड्रॉ के आधार पर परिणाम घोषित किए जाते हैं।

* एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

और जो जीतने वाले अंकों/ताश खेलने का सही अनुमान लगाते हैं वे जीत जाते हैं

जबकि अन्य हार जाते हैं। यादृच्छिक ड्रॉ के आधार पर जीतने वाले अंकों की घोषणा करने के बजाय, मुंबई मटका के आयोजकों पर आरोप लगाया जाता है कि वे उस संख्या की पहचान करें जिस पर सबसे कम दांव लगाया जाता है और उसे जीतने वाला अंक घोषित करें। ऐसा कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि भुगतान न्यूनतम हो और लाभ जितना संभव हो उतना अधिक हो।

2. सलीम मुल्ला पर एक सट्टेबाज होने का आरोप है जो सट्टेबाजी स्वीकार करता है।

मुंबई मटका। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि वह मुंबई मटका के माध्यम से प्राप्त धन को राकेश अग्रवाल और मनीष अग्रवाल को हस्तांतरित कर देगा यदि वह यह अनुमान लगाता है कि जिस संख्या पर उसने सबसे अधिक दांव स्वीकार किए थे, उसे जीतने वाली संख्या घोषित किए जाने की स्थिति में वह भुगतान करने में असमर्थ होगा। राकेश अग्रवाल और मनीष अग्रवाल कथित तौर पर जोखिम स्वीकार करते थे और जुआरी को भुगतान करने के दायित्व का निर्वहन करते थे यदि उस विशेष संख्या को वास्तव में विजेता संख्या घोषित किया जाता था। इसके अलावा, वे कथित तौर पर सलीम मुल्ला से प्राप्त धन को 2020 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3722 में अपीलकर्ता सम्राट कोराने और 2020 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3213 में अपीलकर्ता जाकिर मिराजकर को हस्तांतरित करेंगे। बाद वाले दो, शरद कोराने के साथ, 2020 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3629 में अपीलकर्ता जोखिम उठाएगा और 2020 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3915 में अपीलकर्ता विरल सावला और 2020 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4170 में अपीलकर्ता जायेश सावला को एक बार फिर धन हस्तांतरित करेगा। यह आरोप लगाया जाता है कि इस तरह से याचिकाकर्ता और कई अन्य लोग एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य हैं, जिसमें लिंचपिन सलीम मुल्ला है। मुंबई मटका के मुख्य आयोजकों में 2020 के एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3943 में अपीलकर्ता प्रकाश सावला, उनके बेटे विरल सावला और उनके भाई जायेश सावला शामिल हैं। अंत में, 2022 के एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6034 में अपीलकर्ता राजेंद्र दवे पर विभिन्न गैंगस्टरों को सुरक्षा राशि वितरित करके और अवैध जुआ व्यवसाय की आय से संपत्ति खरीदकर सलीम मुल्ला और सावला परिवार की सहायता करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मटका व्यवसाय से प्राप्त आय का उपयोग आपराधिक गिरोहों और अंडरवर्ल्ड डॉन के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

3. 8 अप्रैल 2019 को, सहायक पुलिस अधीक्षक, कोल्हापुर और पुलिस कर्मियों की एक टीम ने सलीम मुल्ला द्वारा नियंत्रित एक जुआ अड्डे (जिसे कथित तौर पर 'मटका' अड्डे के रूप में जाना जाता है) पर छापा मारा। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सलीम मुल्ला की पत्नी शमा मुल्ला कुछ अन्य लोगों के साथ,

पुलिस दल पर हमला किया जब वे पंचनामा रिकॉर्ड कर रहे थे

जुआ खेलने का अड्डा।

4. धारा 143 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2019 की एफ. आई. आर. 136,

जुआ अधिनियम 1887,2 महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 की धारा 65 (ई) और बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 और 135 छापामारी करने वाले दल के सदस्यों में से एक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पीएस राजारामपुरी, कोल्हापुर में दर्ज की गई थी। जाँच अधिकारी की राय थी कि आरोपी सलीम मुल्ला के नेतृत्व में एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य थे, जैसा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 की धारा 2 (1) (च) में परिभाषित किया गया है। 3 परिणामस्वरूप वह धारा 23 (1) (ए) के तहत सक्षम प्राधिकारी को मकोका के तहत दंडनीय अपराधों को लागू करने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी ने 10 अप्रैल 2019 को प्रस्ताव को मंजूरी दी और अनुभाग

3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4), और 3 (5) मकोका को प्राथमिकी में जोड़ा गया था। जाँच के दौरान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दर्ज किया

अपीलार्थियों सहित कई अभियुक्तों द्वारा किए गए इकबालिया बयान। दंड संहिता की धारा 161 के तहत विभिन्न व्यक्तियों के बयान प्रक्रिया 19735 भी दर्ज की गई थी।

5. 4 अक्टूबर 2019 को, सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दी

एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों (अन्य लोगों के साथ) का अभियोजन। जाँच पूरा होने पर, आई. ओ. ने 5 अक्टूबर 2019 को सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत एक आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आरोप-पत्र आई. पी. सी. की धारा 109,120 (बी), 143,147,149,155,332,353,307,395,427 और 420, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21 (2), 21 (3) और 23 के संदर्भ में दायर किया गया था। जुआ अधिनियम की धारा 4 और 5, महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 की धारा 65 (ई), बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 और 135, और मकोका की धारा 3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4) और 3 (5)।

वे (सम्राट कोराने और प्रकाश सावला) फरार हैं। एसएलपी (आपराधिक) सं. में याचिकाकर्ता। 3213 2020 का 3722,2020 का 3629,2020 का 3915,2020 का 3943 और 2020 का 4170 ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। दिनांकित निर्णय द्वारा 1 " आई. पी. सी "

2 " जुआ अधिनियम "

3 " मकोका "

4 4 " एडल्ट। एसपी "

5 " सी. आर. पी. सी. "ज़ाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्य

हरास्त्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]2020 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने खारिज कर दिया

निम्नलिखित कारणों सेः

हालाँकि जुआ अपने आप में एक संगठित खेल नहीं हो सकता है।

ए।

अपराध, एक संगठित अपराध सिंडिकेट अवैध गतिविधि से होने वाले लाभ का उपयोग अनुबंध हत्या, अपहरण और डकैती जैसी अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कर सकता है। यदि राज्य को एक संगठित अपराध सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में पता चलता है

जुआ प्रतिष्ठान पर छापा मारते समय, यह मकोका का सहारा ले सकता है और जाँच कर सकता है; एम. सी. ओ. सी.
ए. न केवल उन व्यक्तियों को दंडित करता है जो इसमें शामिल होते हैं।

बी।

संगठित अपराध लेकिन वे भी जो एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य हैं और जो संगठित अपराध के आयोग को बढ़ावा देते हैं। अपीलकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने सलीम मुल्ला की सहायता की थी।

उसके द्वारा किए गए अत्यधिक जोखिमों की आकस्मिकता में समायोजन। इस तरह की सहायता का आह्वान करने के लिए पर्याप्त है

मकोका के प्रावधान;

कुछ अपीलार्थी फरार हैं और उनके

सी।

उचित जाँच के लिए पूछताछ आवश्यक है।

यदि कुछ व्यक्ति आयोग में शामिल पाए जाते हैं

डी।

संगठित अपराध और उनके नामों का उल्लेख धारा 23 (1) (ए) मकोका के तहत जानकारी दर्ज करने की मंजूरी देने वाले आदेश में नहीं किया गया था, फिर भी धारा के तहत मंजूरी प्राप्त होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
23 (2) मकोका;

एडिशनल द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान। एसपी स्वीकार्य हैं।

ई.

क्योंकि एडल। एस. पी. अधीक्षक के समान पद पर होते हैं।

बम्बई पुलिस की धारा 25 (2) के अनुसार

नियमावली 1959.7

के अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया संविधान। राजेंद्र दवे ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 अगस्त 2021 के आदेश को चुनौती देने के लिए 2022 का एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6034 दायर किया, जिसमें निम्नलिखित कारणों से उसी प्राथमिकी के संबंध में जमानत देने से इनकार कर दिया गया थाः

सीई

मैनुअल "[2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम दृष्टया, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि

ए।

कथित अपराधों में संलिप्तता;

बी।

आरोप-पत्र दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री की ओर इशारा करता है

संगठित अपराध सिंडिकेट की सक्रिय सदस्यता।

जमानत देने के लिए मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि

सी।

धारा 21 (4) मकोका में निहित प्रतिबंध।

बी.

मुद्दे

प्रस्तुतियों के आधार पर जिन पर प्रचार किया गया है

7 .

अपीलार्थियों की ओर से दो प्रश्न उठते हैं -

संकल्पः

ए। चाहे किसी अतिरिक्त अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति हो। धारा 18 मकोका के तहत एसपी को इसके खिलाफ साबित किया जा सकता है

अभियुक्त; और

बी। क्या मकोका के प्रावधान वैध रहे हैं

आह्वान किया।

8. चूंकि मामलों के समूह में इसी तरह के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपीलें

एक साथ सुना गया है।

ग. प्रस्तुतियाँ

9. श्री अमित देसाई, श्री सिद्धार्थ लूथरा, श्री आबाद पोंडा, श्री वी. गिरि, श्री प्रदीप राय और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी ने नेतृत्व किया।

अपीलार्थियों की ओर से तर्क। श्री अमित देसाई, विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने दलीलों का नेतृत्व किया (श्री आबाद पोंडा द्वारा समर्थित) ने विशेष रूप से कहा कि जिन मामलों में वे बहस कर रहे हैं, उनमें चुनौती एक अतिरिक्त अधिकारी के अधिकार तक सीमित है। एस. पी. धारा 18 के हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए एक स्वीकारोक्ति दर्ज करेगा। श्री देसाई ने प्रस्तुत किया कि अपील में व्यक्तिगत तथ्यों को इस कार्यवाही में सामने नहीं रखा जा रहा है क्योंकि अपीलार्थी आवेदन करने पर उचित स्तर पर अपने उपायों का पालन करेंगे।

नियमित जमानत के लिए।

10. उनकी दलीलें इस प्रकार थीं:

ए। कई वैधानिक सुरक्षा उपायों को पेश किया गया है

मकोका में शामिल हैं:

आई. अभियुक्त को सूचित करना कि बयान का उपयोग किया जाएगा

उनके खिलाफ; ज़ाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्य

हरास्त्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ii. लिखित में बयान का प्रमाणन;

iii. सी. जे. एम./सी. एम. एम. को बयान का प्रेषण यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छेड़छाड़ न हो और इसकी आवश्यकता हो कि

बयान को संज्ञान लेते हुए अदालत को भेजा जाए; और

iv. सी. एम. एम./सी. जे. एम. के समक्ष पेश करने का आदेश जिसे या तो शिकायत दर्ज करनी है या शिकायत की अनुपस्थिति दर्ज करनी है।

ये वैधानिक सुरक्षा उपाय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू हैं।

संविधान, अभियुक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिसने

उद्देश्य एक गंभीर अपराध में एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है जिसमें संगठित अपराध सिंडिकेट।

बी।

धारा 25 एक अबाधित प्रावधान के साथ शुरू होती है।

अन्य विधानों में कुछ भी असंगत होने के बावजूद, एम. सी. ओ. सी. ए. को प्रमुख प्रभाव प्रदान करना। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि यह एक अतिरिक्त न्यायाधीश है। एसपी को पुलिस नियमावली के पैरा 25 (2) पर भरोसा करके मकोका के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने का अधिकार है। इसके अलावा, पुलिस नियमावली है

प्रशासनिक परिपत्रों का एक संग्रह और नहीं कर सकते

एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 18 में निहित वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड करता है जो अनिवार्य करता है कि नीचे कोई पुलिस अधिकारी नहीं है।

एस. पी. का पद स्वीकारोक्ति दर्ज कर सकता है।

धारा 18 एम. सी. ओ. सी. ए., जो यह निर्धारित करती है कि किए गए इकबालिया बयान

सी।

"पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी" के लिए साक्ष्य स्वीकार्य हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18728 की धारा 25 में सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। एक अतिरिक्त। एस. पी. एस. पी. के समान रैंक का नहीं है क्योंकिः

बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 8 में प्रावधान है कि

आई.

राज्य सरकार "एक अतिरिक्त अधीक्षक को एक अधीक्षक द्वारा प्रयोग या निष्पादित की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति, कार्य या कर्तव्यों का प्रयोग करने और निष्पादन करने के लिए सशक्त कर सकती है।" इसलिए, अतिरिक्त में शक्ति निहित है। एस. पी. स्वाभाविक नहीं है लेकिन अनिवार्य है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य ने ए. डी. एल. को अधिकार नहीं दिया है। व्यायाम करेंगे एस. पी.

एस. पी. की शक्तियाँ।

डेंस एक्ट "[2022] 9 एस.

सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

ii. पुलिस नियमावली का पैरा 25 (2) इंगित करता है कि एक अतिरिक्त। एसपी "इस तरह के कर्तव्यों का पालन करते हैं और इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

अधीक्षक की राज्य सरकार कर सकती है

उसे नियुक्त किया है "। मैनुअल पहचानता है कि ए. डी. एल. एस. पी. एस. पी. के समान रैंक में नहीं है। यह केवल कानून की कल्पना से है कि वे एक ही पद के हो जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य ने एक अधिसूचना जारी नहीं की है जिसके तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति प्रदान की गई है।

एम. सी. ओ. सी. ए. से जोड़। एस. पी.:

iii. भले ही ऐसी अधिसूचनाएं मौजूद हों या जारी की जानी हों, वे धारा 25 मकोका के विपरीत होंगी जो

यह एक सर्वोपरि प्रावधान है।

iv. ए. डी. एल. पर चिह्न। एसपी की वर्दी एसपी की वर्दी से अलग है, जो दर्शाता है कि उनके रैंक हैं

एक समान नहीं।

संघ द्वारा तैयार किया गया आदर्श पुलिस अधिनियम 2006

वी.

सरकार का उद्देश्य राज्यों के अनुसरण के लिए एक मानक के रूप में काम करना है। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के खंड 32 में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक के समकक्ष रैंक का एक कमांडेंट प्रत्येक सशस्त्र पुलिस बटालियन का नेतृत्व करेगा। कमांडेंट की सहायता की जाएगी।

एक डिप्टी कमांडेंट द्वारा, रैंक में समकक्ष

एक अतिरिक्त के बीच रैंक में अंतर को पहचानता है। एसपी और एसपी। सिक्किम और हिमाचल में पुलिस अधिनियम प्रदेश में भी इसी तरह के प्रावधान हैं।

निचली अदालतों को इस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि क्या एक पद दूसरे के बराबर है। बल्कि उन्हें ऐसा करना चाहिए।

सरल प्रश्न पूछने और उत्तर देने की आवश्यकता होगी

क्या स्वीकारोक्ति दर्ज करने वाला पुलिस अधिकारी एक है

एसपी। एस. पी. के अलावा अन्य व्यक्तियों को स्वीकारोक्ति दर्ज करने की अनुमति देना।

सांगली जिले में एसपी का पद वास्तव में उपलब्ध था और इसलिए अतिरिक्त रैंक के अधिकारियों को चुनने और चुनने का कोई कारण नहीं था। रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से एस. पी. स्वीकारोक्ति।

अकीर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्यशास्त्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां क़ानून एक प्रक्रिया निर्धारित करता है, उसका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। मकोका में, विधायिका ने एक गंभीर अपराध की उचित जांच की मांग करने के इरादे का खुलासा किया है, जबकि

उसी समय अभियुक्त के लिए निष्पक्षता की रक्षा करना।

धारा 18 एम. सी. ओ. सी. ए. के पीछे विधायी उद्देश्य है - अभियुक्त के उत्पीड़न को रोकें। प्रावधान अनिवार्य है और इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। एक कानूनी धारणा है कि वरिष्ठ, अनुभवी अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे।

जाँच के दौरान पूछताछ के अनुचित तरीकों में लिप्त होना। पुलिस की शक्तियों का भारी दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है

धारा 18 मकोका के दायरे का विस्तार करते हुए। स्वीकारोक्ति दर्ज करना जाँच की सामान्य शक्ति का प्रयोग करने से अलग है। ए की रिकॉर्डिंग

स्वीकारोक्ति एक मंत्रिस्तरीय कार्य नहीं है-एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत दर्ज एक स्वीकारोक्ति ठोस साक्ष्य का एक टुकड़ा है और इसका उपयोग बयान देने वाले के खिलाफ किया जा सकता है। एम. सी. ओ. सी. ए. में धारा में जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं। 21 (4) ;

धारा 23 (2) मकोका के तहत मंजूरी का मात्र अस्तित्व प्रक्रिया का पालन करने में दोष को ठीक नहीं करता है। धारा 23 (1) एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत, क्योंकि यह गैर-स्थायी है और दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है।

जुआ अपने आप में एक संगठित अपराध नहीं है। जुआ खेलने पर अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और इसलिए यह मकोका के दायरे में नहीं आता है। दंडनीय अपराध करने की आवश्यकता है

3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास)। के अधीन अपराध आई. पी. सी. धारा 2 (डी) एम. सी. ओ. सी. ए. के दायरे में नहीं आती है और एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि का गठन नहीं करती है। मकोका को गलत तरीके से लागू किया गया है; इसे लागू करने की अनुमति नहीं है।

साधारण अपराधों के लिए मकोका। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण नियम 1999 9 के नियम 3 (4) में कहा गया है कि स्वीकारोक्ति दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को आरोपी को 24 घंटे से कम समय नहीं देना चाहिए।

स्वीकार करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। यह नियम नहीं था

वर्तमान मामले में पालन किया गया।

विधायिका दोनों के बीच के अंतर से अवगत थी

के.

एम. सी. ओ. सी. ए. लागू करते समय विभिन्न रैंक। धारा 23 (1) (बी) एक डिप्टी एसपी को संदर्भित करती है। धारा 14 (10) और 23 (2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को संदर्भित करती है। इसके विपरीत,

धारा 18 एम. सी. ओ. सी. ए. या तो डिप्टी एस. पी. या अतिरिक्त एस. पी. को संदर्भित नहीं करती है। एसपीएस। यदि विधायिका अतिरिक्त को शामिल करने का इरादा रखती है। धारा 18 एम. सी. ओ. सी. ए. के दायरे में एस. पी. होंगे

ऐसा स्पष्ट रूप से किया।

11. उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा, श्री सिद्धार्थ लूथरा,

विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं शरद कोराने, प्रकाश सावला, जायेश सावला, सुरेश सावंत और मेघराज कम्भरः

ए। एफ. आई. आर. या अनुमोदन आदेश में उनका नाम नहीं है।

और

बी। उनके और उनकी गतिविधियों के बीच कोई संबंध नहीं है।

विचाराधीन गिरोह;

सी। एक को छोड़कर सभी इकबालिया बयान एक अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किए जाते हैं।

एस. पी. के पद पर लेकिन एक अतिरिक्त अधिकारी द्वारा। एसपी।

विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि कोई स्वीकारोक्ति नहीं थी सुरेश सावंत के खिलाफ।

12. वरिष्ठ वकील श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी ने आग्रह किया कि विरल सावला के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के संबंध में उनका नाम गायब है। उसे। श्री प्रदीप राय ने प्रस्तुत किया कि सम्राट कोराने का नाम पहली बार मंजूरी आदेश में लिया गया था, और उनकी कथित जुआ गतिविधियों के संबंध में पंजीकृत 5 में से 3 एफ. आई. आर. एस. में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था।

13. राजेंद्र दवे की ओर से श्री प्रकाश सिन्हा पेश हुए।

अर्थात, याचिकाकर्ता जिसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम न तो प्राथमिकी में या धारा 23 (1) (ए) के तहत मंजूरी देने वाले आदेश में उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनका मुवक्किल 3 साल से हिरासत में है और जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों का महाराष्ट्र राज्य ने विरोध किया है। श्री राजा ठाकरे, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्य

राष्ट्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

धारा 18 एम. सी. ओ. सी. ए. पद द्वारा स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति प्रदान करती है और इसलिए, राज्य सरकार से किसी अलग प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। धारा 25 में एक प्रबल प्रावधान है और एम. सी. ओ. सी. ए. को किसी अन्य क़ानून के तहत एक अलग प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।

एडल्ट। एस. पी. और एस. पी. एक ही रैंक के होते हैं क्योंकिः

एडिशनल के पद। एसपी, एसपी, उपायुक्त

आई.

पुलिस, 10 और कमांडेंट आपस में बदले जा सकते हैं।

स्थानांतरण। डी. सी. पी. का पद एक से जुड़ा हुआ है आयुक्तालय। आयुक्तालय में तैनात एक डी. सी. पी.

किसी जिले में या तो अतिरिक्त अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। एसपी या एसपी के रूप में। इसी तरह एक अतिरिक्त। जिले में एस. पी. या एस. पी. को आयुक्तालय में डी. सी. पी. के रूप में स्थानांतरण पर तैनात किया जा सकता है। सचित्र रूप से, श्री निखिल पिंगले और श्री समाधान पवार

डी. सी. पी. थे जो एडिशनल बन गए। एसपी होने पर

2018 में स्थानांतरित किया गया। मकोका अधिनियम के तहत डी. सी. पी. या उनकी शक्तियों का उल्लेख नहीं करता है। फिर भी, एक डी. सी. पी. धारा के तहत एक स्वीकारोक्ति दर्ज कर सकता है क्योंकि वह नहीं होगी

जिला लेकिन वही व्यक्ति अतिरिक्त जिला अधिकारी के रूप में दूसरे जिले में स्थानांतरण पर स्वीकारोक्ति दर्ज करने में असमर्थ होगा। एसपी। अतिरिक्त के लिए वेतनमान। एस. पी. और एस. पी. एक ही हैं।

ii.

एस. पी. के साथ-साथ एडिशनल। एस. पी. को पदोन्नत किया जा सकता है

iii.

पुलिस उप महानिरीक्षक।

एडल्ट। एस. पी. एक गैर-संवर्ग पद है। इस संबंध में विशिष्ट नियम

iv.

25 अगस्त 1975 को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत तैयार किया गया है। पदोन्नति पर नियुक्ति एसीपी, डिप्टी एसपी या एसडीपीओ के पद से होती है।

सेवा के वर्षों की संख्या।

महाराष्ट्र राज्य ने आवश्यकताओं का पालन किया है

धारा 18 मकोका और नियम 3, मकोका नियम।

धारा 23 (1) (ए) मकोका के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी अपराध के संबंध में है न कि [2022] 9 एस. सी. आर. के संबंध में।

अपराधी का सम्मान करें। दी गई मंजूरी एक के समान है

एफ. आई. आर., जिसमें सभी अपराधियों के नाम होने की आवश्यकता नहीं है।

उल्लेख किया है। अतः, अनुमोदन के क्रम में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति का नाम शामिल न करना जाँच के लिए घातक नहीं है। यह मंजूरी पुलिस निरीक्षक, राजारामपुरी पुलिस स्टेशन द्वारा विशेष आई. जी. को सौंपे गए प्रस्ताव के आधार पर दी गई थी।

ई. धारा 23 (1) (ए) के तहत दी गई मंजूरी या धारा 23 (1) (बी) के तहत दी गई मंजूरी की वैधता का इस स्तर पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है। उनकी वैधता केवल इस स्तर पर निर्धारित की जा सकती है -

मुकदमा, जब अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

एफ. उप-धारा 3 की धारा 1,2,3 और 5 "जो कोई भी हो" अभिव्यक्ति से शुरू होती है। उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, धारा 3 की उप-धारा 4 में 'जो कोई भी' शब्द नहीं है और इसलिए कोई भी व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, उत्तरदायी है। मकोका को वैध रूप से लागू किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने किसी भी क्षमता का उपयोग करके संगठित अपराध सिंडिकेट को वित्तीय सहायता प्रदान करके संगठित अपराध को बढ़ावा दिया है

मटका से नुकसान। अभिलेख पर सामग्री याचिकाकर्ताओं और संगठित अपराध सिंडिकेट के बीच एक वित्तीय संबंध की ओर इशारा करती है।

D. विश्लेषण आई. महाराष्ट्र संगठित नियंत्रण का एक अवलोकन

अपराध अधिनियम 1999

15. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999

एनजी शीर्षक इंगित करता है, "के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है

आपराधिक गतिविधि का निर्धारण और नियंत्रण और उससे निपटने के लिए

अपराध सिंडिकेट या गिरोह और उससे जुड़े मामलों के लिए

उस पर ध्यान दें "। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में शामिल हैं -

-आसन जो विधायिका के कदम उठाने की नींव का गठन करते थे

सबसे पहले, संगठित अपराध जो कुछ वर्षों से अस्तित्व में है, समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।

दूसरा, संगठित अपराध राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है; जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम।

तीसरा, संगठित अपराध अनुबंध हत्या, जबरन वसूली, तस्करी और निषिद्ध, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, फिरौती के लिए अपहरण, सुरक्षा धन के संग्रह से उत्पन्न अवैध धन से प्रेरित होता है।

और धन शोधन और अन्य गतिविधियाँ;

चौथा, संगठित रूप से उत्पन्न अवैध धन और काला धन।

अपराध अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

पाँचवाँ, संगठित अपराध सिंडिकेट राष्ट्रीय सीमाओं से परे फैले नार्कोटेररिज्म को बढ़ावा देने वाले आतंकवादियों के साथ सामान्य कारण बनाते हैं;

छठा, दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कानूनों और न्यायनिर्णायक प्रणाली के संदर्भ में मौजूदा कानूनी ढांचा अपर्याप्त पाया गया

संगठित अपराध पर अंकुश लगाना और उसे नियंत्रित करना; तथा

सातवाँ, विशेष कानून को "कड़े और निवारक प्रावधानों" के साथ अधिनियमित किया गया था, जिसमें कुछ परिस्थितियों में,

इंटरसेप्ट तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचार।

16. अधिनियम के दायरे को समझने के लिए, तीन परिभाषाओं पर जोर दिया जाना चाहिए:

ए। संगठित अपराध (धारा 2 (1) (ई));

बी। संगठित अपराध सिंडिकेट (धारा 2 (1) (च));

सी। गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना (धारा 2 (1) (डी)। 1 3

17. अभिव्यक्ति 'संगठित अपराध' को एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। परिभाषा विस्तृत है क्योंकि यह है

1 1 11 धारा 2 (1) (ई)-"संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा या हिंसा की धमकी या धमकी या जबरदस्ती, या अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग करके, आर्थिक लाभ प्राप्त करने, या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने या विद्रोह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई निरंतर गैरकानूनी गतिविधि अभिप्रेत है।

12 धारा 2 (1) (च)-"संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह अभिप्रेत है जो अकेले या सामूहिक रूप से एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त होते हैं।

13 13 धारा 2 (1) (डी)-"गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" का अर्थ है कुछ समय के लिए कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि, जो तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है,

जिसे अकेले या संयुक्त रूप से, एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है, जिसके संबंध में एक से अधिक सिंडिकेट हैं।

आरोप-पत्र दस साल की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर एक अनुपालन न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हैं और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है; [2022] 9 एस. सी. आर.

"मतलब" शब्द से जुड़ा हुआ है। एक संगठित अपराध के तत्व

ए। निरंतर अवैध गतिविधि का अस्तित्व;

बी। एक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त गतिविधि में संलग्नता;

सी। व्यक्ति एकल रूप से या संयुक्त रूप से या तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसी संस्था की ओर से कार्य कर सकता है।

सिंडिकेट;

डी। हिंसा का उपयोग या इसकी धमकी या धमकी या जबरदस्ती या

अन्य गैरकानूनी साधन; और

ई. इसका उद्देश्य आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करना है।

या गतिविधि करने वाले व्यक्ति के लिए अन्य लाभ

या कोई अन्य व्यक्ति या विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए।

18. संगठित अपराध की उपरोक्त परिभाषा, जैसा कि इसके तत्वों ने खाया, दो अन्य अवधारणाओं को शामिल करती है, अर्थात् एक निरंतर गैरकानूनी अपराध और एक संगठित अपराध सिंडिकेट। इसलिए, उन दोनों अभिव्यक्तियों के दायरे को समझना आवश्यक हो जाता है। ए की सामग्री

गैरकानूनी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैंः

ए। गतिविधि को कुछ समय के लिए कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

बल;

बी। गतिविधि एक संज्ञेय कार्य होना चाहिए जो दंडनीय हो।

तीन साल या उससे अधिक की कैद;

सी। यह गतिविधि या तो अकेले या संयुक्त रूप से एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसी संस्था की ओर से की जा सकती है।

एक सिंडिकेट;

डी। दस साल की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष गतिविधि के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए था; और

ई. अदालत को अपराध का संज्ञान लेना चाहिए था।

19. "संगठित अपराध सिंडिकेट" की परिभाषा के तत्व

ए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह।

बी। जो अकेले या सामूहिक रूप से एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में कार्य करते हैं; और

सी। संगठित अपराध की गतिविधियों में शामिल हों।

20. "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" को परिभाषित करते हुए धारा 2 (1) (डी) और "संगठित अपराध" को परिभाषित करते हुए धारा 2 (1) (ई) दोनों में "एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या के रूप में" अभिव्यक्ति शामिल है। ऐसे सिंडिकेट की ओर से "। एक संगठित अपराध सिंडिकेट को परिभाषित करते समय, धारा 2 (1) (च) "संगठित अपराध की गतिविधियों" को संदर्भित करती है।

21. धारा 3 संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। 14 धारा 3 की उप धारा (1) में शामिल है "जो कोई भी अपराध करता है

संगठित अपराध "। उप-धारा (2) में वह व्यक्ति शामिल है जो किसी संगठित अपराध या संगठित अपराध की तैयारी करने वाले किसी कार्य की साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है या उसकी वकालत करता है, उसे बढ़ावा देता है या जानबूझकर उसे सुविधा प्रदान करता है। उप-धारा (3) में वह व्यक्ति शामिल है जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी भी सदस्य को पनाह देता है या छिपाता है या पनाह देने या छिपाने का प्रयास करता है। उपखंड

(4) यह किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है जो एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है।

उप-धारा (5) में वह व्यक्ति शामिल है जिसके पास किसी संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त कोई संपत्ति है या जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट के धन के माध्यम से अर्जित किया गया है। धारा 4 एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से गैर-जिम्मेदार संपत्ति के कब्जे को दंडित करती है।

1 4 धारा 3-(1) जो कोई भी संगठित अपराध का अपराध करता है, (i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसे मृत्युदंड या मृत्युदंड दिया जाएगा।

आजीवन कारावास और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने के अधीन;

((ii) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और

(4) कोई भी व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। (5) जो कोई भी किसी संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त किसी संपत्ति को रखता है या जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट फंड के माध्यम से अर्जित किया गया है, वह एक ऐसी अवधि से दंडनीय होगा जो तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और न्यूनतम दो लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

ii. एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान

पुलिस अधीक्षक का पद "

22. वर्तमान मामलों के समूह में विवाद की जड़

धारा 18 की धारा 18.15 उप धारा (1) के प्रावधानों की व्याख्या को एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ प्रस्तुत किया जाता है जो सी. आर. पी. सी. 1 6 या साक्ष्य में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद संचालित होता है।

एक्ट करें।

23. उप-धारा में एक गैर-बाध्यकारी खंड को शामिल करना

(1) , कानून इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है "लेकिन इसके प्रावधानों के अधीन

15 धारा 18-(1) संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया स्वीकारोक्ति और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या ध्वनि ट्रैक पर दर्ज किया गया, जिससे ध्वनियाँ या चित्र पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति या सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में स्वीकार्य होगाः

बशर्ते कि सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता पर अभियुक्त के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है।

(2) स्वीकारोक्ति को उसी भाषा में स्वतंत्र वातावरण में दर्ज किया जाएगा जिसमें व्यक्ति से पूछताछ की जाती है और जैसा उसके द्वारा सुनाया जाता है। (3) पुलिस अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत कोई भी कबुलीजबाब दर्ज करने से पहले, यह बताने वाले व्यक्ति को समझाएगा कि वह कबुलीजबाब देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कबुलीजबाब दर्ज नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर, वह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि यह स्वेच्छा से किया जा रहा है। संबंधित पुलिस अधिकारी, इस तरह के स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति को दर्ज करने के बाद, इस तरह के स्वीकारोक्ति के स्वैच्छिक चरित्र के बारे में अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के बारे में लिखित रूप में प्रमाणित करेगा, उसी की तारीख और समय लगाएगा।

(4) उप-धारा (1) के तहत दर्ज प्रत्येक स्वीकारोक्ति को तुरंत मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसकी अधिकारिता उप-धारा (1) के तहत है।

जिस क्षेत्र में ऐसा स्वीकारोक्ति दर्ज किया गया है और ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्राप्त किए गए दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति को विशेष न्यायालय को भेजेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकता है।

(5) जिस व्यक्ति से उप-धारा (1) के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है, उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक के समक्ष भी पेश किया जाएगा।

मजिस्ट्रेट जिनके पास बिना किसी अनुचित देरी के यांत्रिक उपकरण पर लिखित या दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति के मूल बयान के साथ उप-धारा (4) के तहत स्वीकारोक्ति भेजना आवश्यक है।

(6) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्रस्तुत अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को सावधानीपूर्वक दर्ज करेगा और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और यातना की किसी भी शिकायत के मामले में, व्यक्ति को सहायक सिविल सर्जन से कम रैंक के चिकित्सा अधिकारी के सामने चिकित्सा जांच के लिए पेश करने का निर्देश दिया जाएगा। 16 धारा 18 (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति संहिता को धारा 2 (बी) में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थ में परिभाषित किया गया है।

जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्य

महाराष्ट्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

खंड "। उप-धारा (1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति

"पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी" के समक्ष ऐसे व्यक्ति या सह-अभियुक्त के मुकदमे में स्वीकार्य होगा,

सहायक या षड्यंत्रकारी, यदि इसे ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या ध्वनि ट्रैक पर दर्ज किया गया है जिससे ध्वनियों और छवियों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। द.

सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के खिलाफ स्वीकारोक्ति का उपयोग किया जा सकता है यदि उन पर अभियुक्त के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है।

24. धारा 18 (1) में अबाधित होने का कारण

साक्ष्य अधिनियम को ओवरराइड करने वाला प्रावधान इसलिए है क्योंकि धारा 25

साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने की गई कोई भी स्वीकारोक्ति किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी। धारा 25 में निहित प्रतिबंध मकोका की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा सीमित है। जाहिर है, विधानमंडल ने बार को उठाते समय इस बात से अवगत था कि

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के लिए अंतर्निहित तर्क। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 एक विधायी समझ पर आधारित है कि एक गंभीर खतरा है कि एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया स्वीकारोक्ति जबरदस्ती, यातना या दबाव के तहत प्राप्त किया गया हो सकता है।

25. इसलिए, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों में निहित बाधा को हटाते समय, विधायिका ने "के अधीन" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है

इस धारा के प्रावधान "। ऐसा करने में विधायिका ने एक इरादे का संकेत दिया है कि धारा 18 की उप धारा (1) के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता वैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है जो प्रावधान में सन्निहित हैं।

26. धारा 18 की उप-धारा (1) में दो सुरक्षा उपाय हैं, पहला उस व्यक्ति के संदर्भ में है जो स्वीकारोक्ति दर्ज करता है और

स्वीकारोक्ति दर्ज करने के तौर-तरीकों के संदर्भ में दूसरा। जहां तक पहले वाले का संबंध है, उप-धारा (1) में कहा गया है कि स्वीकारोक्ति एक पुलिस अधिकारी के समक्ष "पुलिस अधीक्षक के पद से कम नहीं" की जानी चाहिए। अन्य सुरक्षा उपाय जो क़ानून ने धारा 18 में सन्निहित किए हैं:

आवश्यकता है कि स्वीकारोक्ति दर्ज की जानी चाहिए

ए।

या तो लिखित रूप में या किसी भी यांत्रिक उपकरण पर जिससे

ध्वनियों या छवियों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है (उपखंड (1));

बी।

स्वीकारोक्ति (मुकदमे में स्वीकार्य होने के अलावा)

निर्माता) किसी सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में तभी स्वीकार्य है जब सह-अभियुक्त उकसाने वाला या साजिशकर्ता [2022] 9 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता है और अभियुक्त के साथ एक ही मामले में मुकदमा चलाया जाता है (उप धारा (1) का परंतुक)।

"एक स्वतंत्र वातावरण" में स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग, उसी भाषा में जिसमें व्यक्ति से पूछताछ की जाती है और जैसा कि उसके द्वारा सुनाया जाता है (उप धारा (2));

पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उप-धारा (1) के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति को बताए कि -

आई. वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है;

ii. यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है।

(उप-धारा (3);

आवश्यकता यह है कि यह संतुष्ट होने पर कि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से दर्ज की जा रही है, पुलिस अधिकारी तारीख और समय (उप धारा (3)) के साथ स्वीकारोक्ति के नीचे लिखित रूप में इसे प्रमाणित करेगा; मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तुरंत स्वीकारोक्ति का संचरण और इस प्रकार प्राप्त स्वीकारोक्ति को विशेष न्यायालय को अग्रेषित करना जो अपराध का संज्ञान ले सकता है (उप धारा (4));

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक के समक्ष स्वीकारोक्ति देने वाले को पेश करना

मजिस्ट्रेट जिनके पास स्वीकारोक्ति को मूल बयान के साथ उप धारा 4 के तहत भेजा जाना आवश्यक है। बिना किसी अनुचित विलंब के स्वीकारोक्ति (उप धारा (5)); और

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए बयान को ईमानदारी से दर्ज करे और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करे, और यातना की शिकायत की स्थिति में, अभियुक्त को चिकित्सा जांच के लिए पेश करने का निर्देश दे।

एक चिकित्सा अधिकारी के सामने जो सहायक से कम रैंक का न हो

सिविल सर्जन। (उप-धारा (6)।

विधायिका ने धारा 18 की उप धारा (1) के संदर्भ में दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता को इस शर्त पर बनाया है कि - उपरोक्त वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन।

27. इन अपीलों का परिणाम अभिव्यक्ति के निर्माण पर निर्भर करता है "एक पुलिस अधिकारी के सामने जो पद से नीचे नहीं है।

पुलिस अधीक्षक "। धारा 18 (1) में निहित प्रावधान धारा 25 में सन्निहित सामान्य सिद्धांत के अपवाद हैं।

साक्ष्य अधिनियम और इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

28. यह मुद्दा कि क्या किसी अतिरिक्त अधिकारी द्वारा स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है। एस. पी. एक स्वीकारोक्ति है जो एक पुलिस अधिकारी के सामने की जाती है जो पद से नीचे नहीं है।

पुलिस अधीक्षक "को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। अपीलार्थियों का निवेदन था कि चूंकि धारा 18 एस. पी. के पद से कम के पुलिस अधिकारी द्वारा इकबालिया बयान दर्ज करने पर विचार करती है, इसलिए वर्तमान एफ. आई. आर. के संबंध में लगभग सभी इकबालिया बयान अस्वीकार्य थे, जो एक अतिरिक्त अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए थे। एसपी। उच्च न्यायालय के निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष लोक अभियोजक ने इस निवेदन का जवाब देते हुए पुलिस नियमावली के पैरा 25 (2) पर भरोसा करते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से आग्रह किया है। एस. पी. (जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है) "उस क्षेत्र में एस. पी. के समान पद पर हैं जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है।" उच्च न्यायालय ने पुलिस नियमावली के पैरा 25 (2) को चुनौती देने के अभाव में अपीलकर्ताओं के निवेदन को खारिज कर दिया। 1 7

29. उस तर्क की हवा को साफ करना आवश्यक है जो था

पुलिस नियमावली के पैरा 25 पर स्थापित। पुलिस नियमावली में बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951, बॉम्बे पुलिस (विस्तार और संशोधन) अधिनियम 1959 और अन्य विभागीय विनियमों के तहत नियम शामिल हैं। पुलिस नियमावली के पैरा 25 में कहा गया है किः

17 उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का पैरा 19 इस प्रकार हैः

" 19] याचिकाकर्ताओं की ओर से एक और तर्क इस आशय से उठाया गया कि वर्तमान मामले में दर्ज किए गए इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं और उन्हें नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. सी. ओ. सी. अधिनियम की धारा 18 पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी द्वारा इकबालिया बयान दर्ज करने पर विचार करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में लगभग सभी इकबालिया बयान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज किए जाते हैं। इसके विपरीत, विद्वान एस. पी. पी. पी. ने बॉम्बे पुलिस नियमावली, 1959 के खंड 25 (2) की ओर इशारा किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक उस क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के समान पद पर होता है

जिसके लिए उसे नियुक्त किया जाता है। उक्त खंड को किसी भी चुनौती के अभाव में, हम इस तर्क को अस्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। "[2022] 9 एस. सी. आर.

" 25. पुलिस अधीक्षकः (1) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस महानिरीक्षक के आदेशों के अधीन, उनके संबंधित अधिकार के क्षेत्रों में,

एक जिले के माध्यम से पुलिस का निर्देश और विनियमन बल के कार्यकारी प्रमुख के रूप में अधीक्षक के पास निहित है और उसका अपने अधीन बल की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण है जिसमें हथियार, अभ्यास, अभ्यास, अपराध की रोकथाम और जांच, अभियोजन, अनुशासन और कार्यकारी विवरण के अन्य मामले शामिल हैं।

(2) एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उस क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के समान पद पर होता है जहाँ उसे नियुक्त किया जाता है और

ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है

हो सकता है कि राज्य सरकार ने उन्हें अधीक्षक नियुक्त किए हों।

30. पैरा 25 के उप-पैरा 1 से पता चलता है कि पूरे जिले में पुलिस का निर्देश और विनियमन अधीक्षक में निहित है -

डी. एम. और आई. जी. पी. के आदेशों के अधीन बल का प्रमुख उनके अधिकार क्षेत्र। उप पैरा 2 इंगित करता है कि एक जोड़। एस. पी. "में है

"जिस क्षेत्र के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, उस क्षेत्र में एसपी के समान पद और" राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई अधीक्षकों की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है "।

31. पुलिस नियमावली के पैरा 25 (2) के प्रावधानों से निपटने के लिए श्री अमित देसाई ने आग्रह कियाः

ए। दि एडल्ट। एस. पी. एस. पी. के समान पद पर नहीं है।

बी। विस्तार से, अतिरिक्त। एसपी एक एसपी के समान स्थिति में है और ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो हैं -

राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया; और

सी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति प्रदान करने के लिए कोई अधिसूचना नहीं है

ए. डी. एल. में मकोका। पुलिस नियमावली के पैरा 25 (2) के संदर्भ में एस. पी.

32. विशेष लोक अभियोजक द्वारा पुलिस नियमावली के पैरा 25 (2) पर निर्भरता को एक से अधिक कारणों से गलत समझा गया था। द.

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को, अपील में, व्याख्या करने के लिए कहा गया है

एक विशेष अधिनियम, मकोका के प्रावधान। धारा 18 (1) एम. सी. ओ. सी. ए. में स्वीकारोक्ति दर्ज करने के उद्देश्य से "एस. पी. के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी" को अधिकार के एक विशिष्ट प्रत्यायोजन की परिकल्पना नहीं की गई है।

स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता इस बात से निर्धारित होती है कि क्या यह एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है जो "एसपी के पद से नीचे नहीं है" और क्या वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है। धारा 25 एम. सी. ओ. सी. ए. अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाती है। इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ किसी नियम के तहत जारी किए गए आदेशों के बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या कानून के बल वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है। 18

33. धारा 18 (1) राज्य सरकार द्वारा रिकॉर्ड करने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण की अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल नहीं करती है।

मकोका के तहत स्वीकारोक्ति, कानून की आवश्यकता यह है कि इस तरह के स्वीकारोक्ति को दर्ज करने वाला पुलिस अधिकारी एसपी के पद से नीचे न हो। अतिरिक्त लोक अभियोजक के अधिकार को उचित ठहराने के लिए विशेष लोक अभियोजक की ओर से प्रयास। इसलिए पुलिस नियमावली के पैरा 25 (2) के प्रावधानों के आधार पर धारा 18 (1) के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करना त्रुटि से भरा था। वास्तव में, श्री ठाकरे, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, इसलिए यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि धारा 18 (1) में प्राधिकरण की आवश्यकता को अनुच्छेद 25 (2) के साथ पढ़कर आयात करने का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस नियमावली। उच्च न्यायालय को लोक अभियोजक की प्रस्तुति द्वारा पुलिस नियमावली पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया गया था। एक पक्ष (इस मामले में, राज्य) की ओर से पेश वकील द्वारा कानून के प्रश्न पर किया गया एक निवेदन उस पक्ष को बाध्य नहीं कर सकता है या उस मामले के लिए, इस न्यायालय को कानून की सही व्याख्या करने से रोकता है। इस दौरान

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 8 के प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया है। 1 9 19 धारा 8 निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 8. [अधीक्षक और] अतिरिक्त, सहायक और उप अधीक्षकों की नियुक्ति। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए या जिले के एक हिस्से के लिए या एक या एक से अधिक जिलों के लिए नियुक्त कर सकती है।

पुलिस] और एक या अधिक अतिरिक्त, सहायक और उप पुलिस अधीक्षक, जैसा कि वे समीचीन समझते हैं।

राज्य सरकार एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकारित कर सकती है।

जिले में व्यायाम और प्रदर्शन करने के लिए एक अतिरिक्त अधीक्षक

18 मकोका की धारा 25 इस प्रकार हैः इस अधिनियम के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या ऐसे किसी नियम के तहत बनाए गए किसी आदेश का प्रभाव, उस समय लागू किसी अन्य कानून में या कानून के बल वाले किसी दस्तावेज में इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होगा। 19 " पुलिस अधिनियम "[2022] 9 एस. सी. आर.

जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है या उसके किसी भी भाग में, इस अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी कानून के तहत [अधीक्षक] द्वारा प्रयोग या निष्पादित की जाने वाली सभी या कोई भी शक्तियां, कार्य या कर्तव्य।

जिला अधीक्षक, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति और कार्यों को किसी सहायक या उपाधीक्षक को सौंप सकता है।

4 [बशर्ते कि, बनाने, बदलने या फिर से बनाने के लिए अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ गुजरात संशोधनः सेक में। 8 बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की उप-धारा (3) में "इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी सहायक या उपाधीक्षक को प्रदत्त" शब्दों के लिए, ये शब्द हैं -

" बनाने की शक्ति को छोड़कर, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान किया गया,

धारा के तहत नियमों या आदेशों को बदलें या रद्द करें। 33 , सहायक या उपाधीक्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[8 - ए.] 2 (पुलिस वायरलेस निदेशक की नियुक्ति और

के लिए अधीक्षक], सहायक और उप अधीक्षक बेतार प्रणाली, मोटर परिवहन प्रणाली या कोई विशिष्ट शुल्क।

राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए नियुक्त कर सकती है या इसके किसी भी भाग के लिए-3 [(i) पुलिस वायरलेस के एक या अधिक निदेशक और पुलिस वायरलेस के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक

प्रणाली (जिसे इसके बाद "पुलिस वायरलेस निदेशक" के रूप में संदर्भित किया गया है) जैसा कि यह उचित समझता है; और (ii) एक या अधिक पुलिस अधीक्षक और सहायक और पुलिस उपाधीक्षक जैसा कि यह उचित समझता है।

उचित सोचता है]। क) पुलिस वायरलेस प्रणाली के लिए; ख) पुलिस मोटर परिवहन प्रणाली के लिए; या ग) ऐसे निर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन के लिए जो राज्य सरकार समय-समय पर इस संबंध में निर्धारित करे।

4 [नियुक्त कोई भी पुलिस वायरलेस निदेशक और अधीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जो राज्य सरकार समय-समय पर [उनमें से प्रत्येक को सौंपे]। [निदेशक, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति और कार्यों को किसी अधीक्षक को, या किसी सहायक या उपाधीक्षक को सौंप सकता है और अधीक्षक, समान पूर्व अनुमति के अधीन, ऐसी शक्तियों को सौंप सकता है और जाकिर अब्दुल मिराजकर v.

सहायक या उपाधीक्षक के लिए कार्यः] बशर्ते कि उपरोक्त शक्तियों और कार्यों का प्रयोग किया जाएगा या 6 [जिला अधीक्षक या सहायक या उप अधीक्षक, महानिरीक्षक के नियंत्रण के अधीन] द्वारा निष्पादित। . "

34. धारा 8 की उप-धारा (1) राज्य सरकार को एक एस. पी. और एक या अधिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने का अधिकार देती है। एसपी, सहायक एसपी और डिप्टी एस. पी. जो प्रत्येक जिले, जिले के एक हिस्से या एक या अधिक जिलों के लिए समीचीन समझते हैं। उप-धारा (2) के संदर्भ में राज्य सरकार, एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, एक अतिरिक्त अधिकारी को सशक्त बना सकती है। एस. पी. व्यायाम करेंगे और

जिस जिले के लिए वह नियुक्त किया गया है या उसके किसी भी हिस्से में, पुलिस अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी कानून के तहत एक एस. पी. द्वारा प्रयोग या निष्पादित की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति, कार्य या कर्तव्यों का पालन करें। उप-धारा (3) एस. पी. को अपनी शक्तियाँ सौंपने का अधिकार देती है और

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से सहायक एसपी या डिप्टी एसपी के लिए कार्य करता है। धारा 8 को अपीलार्थियों द्वारा यह इंगित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है किः

ए। अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षकों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को एक विशिष्ट वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। किसी भी जिले में एस. पी.; और बी। एडल्ट। एस. पी. उस जिले में एस. पी. को सौंपी गई शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन कर सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त।

अतिरिक्त अधिकारी को सशक्त बनाकर सरकार। एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 18 (1) के तहत एक एस. पी. को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए एस. पी. मामले के सार से चूक जाता है। एम. सी. ओ. सी. ए. एक विशेष अधिनियम है जिसे एक ओवरराइड के साथ अधिनियमित किया गया है। धारा 25 में प्रावधान। प्रस्तुत करने की दृढ़ता जो एक अतिरिक्त है। एसपी के पद से नीचे के अधिकारी के विवरण में एसपी फिट नहीं बैठता है, जिसे प्राधिकरण के लिए मकोका प्रावधानों को पढ़कर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

यह या तो पुलिस नियमावली (पैरा 25 (2) जैसा कि ऊपर देखा गया है) या किसी अन्य क़ानून (पुलिस अधिनियम की धारा 8 (2)) में निहित है। उच्च न्यायालय के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से उठाई गई चुनौती का जवाब धारा 18 (1) मकोका के प्रावधानों की व्याख्या को ही चालू करना चाहिए। धारा 18 (1) किसी व्यक्ति द्वारा एस. पी. के "रैंक से नीचे नहीं" पुलिस अधिकारी के सामने किए गए इकबालिया बयान को स्वीकार्य बनाती है।

36. श्री अमित देसाई, विद्वान वरिष्ठ वकील ने 1 सितंबर 1977 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक फैसले पर भरोसा किया। केशव भाऊराव मलिक, 20 जहाँ प्रतिवादी को जे. एम. एफ. सी. सोलापुर द्वारा जुआ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप से बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष इस आरोप पर आधारित था कि अभियुक्तों में से एक सोलापुर में एक घर का उपयोग मटका सट्टेबाजी स्वीकार करने के लिए एक आम खेल घर के रूप में कर रहा था। इस घर पर एडिशनल के नेतृत्व में कुछ अधिकारियों ने छापा मारा था। उस क्षेत्र के एस. पी.; छापेमारी से पहले कोई वारंट प्राप्त नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में वारंट की आवश्यकता नहीं थी। एस. पी. को छापेमारी करने का अधिकार दिया गया था। पुलिस अधिनियम की धारा 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने 24 नवंबर 1971 को एक अधिसूचना जारी की।

दि एडिशनल। सोलापुर के पुलिस अधीक्षक सोलापुर जिले में "उक्त अधिनियम के तहत एक जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाने वाली सभी शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों" का प्रयोग और प्रदर्शन करेंगे। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि इस आदेश के आधार पर, अतिरिक्त न्यायाधीश। एसपी को केवल अधिकार दिया गया था

पुलिस अधिनियम के तहत एक एस. पी. की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करना और न कि उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत। जुआ अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित किया गया है कि यह एक पुलिस अधिकारी के लिए वैध होगा जो उप-निरीक्षक के पद से कम नहीं होगा और या तो सामान्य द्वारा सशक्त होगा।

पुलिस आयुक्त द्वारा किसी भी घर, कमरे या स्थान में प्रवेश करने के लिए जारी विशेष वारंट द्वारा प्रत्येक मामले में लिखित या अधिकृत आदेश उसके पास संदेह करने का कारण है कि खोज करने के लिए एक आम खेल घर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान था।

37. उपरोक्त मामले में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि जुआ अधिनियम में विशेष रूप से प्राधिकरण के वारंट की आवश्यकता थी। प्राधिकरण का वारंट जिस पर पुलिस अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत राज्य द्वारा भरोसा किया गया था, केवल पुलिस अधिनियम के तहत कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित था। इसी पृष्ठभूमि में एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि

एडल्ट। एसपी जुआ अधिनियम के तहत एसपी की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था और तलाशी लेने के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, खोज करने के लिए जुआ अधिनियम के तहत प्राधिकरण की एक विशिष्ट आवश्यकता थी और इस तरह के प्राधिकरण के अभाव में, खोज को ही गैरकानूनी माना गया था।

20 1974 की आपराधिक अपील सं. 835 जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम।

38. इस स्तर पर, इस मुद्दे से संबंधित इस न्यायालय के कुछ फैसलों का विज्ञापन करना आवश्यक होगा। कर्तार सिंह बनाम। की स्थिति

पंजाब, 2 1 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 198722 की धारा 15 की वैधता पर इस चुनौती पर विचार किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। चुनौती को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

" 254. न्यायिक द्वारा अब तक प्राप्त स्वीकारोक्ति को दर्ज करने के लिए उच्च पुलिस अधिकारी को अधिकार देने वाली कानूनी स्थिति को देखते हुए

सामान्य प्रक्रिया में अधिकारी, हम कहते हैं कि कोई नहीं होना चाहिए

स्वीकारोक्ति जो केवल सच्चे और स्वैच्छिक को प्रतिबिंबित करती है बयान और अति आलोचना के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि

प्राधिकरण ने एक स्रोत के रूप में एक आविष्कारित स्वीकारोक्ति प्राप्त की है

सच्चाई और विश्वसनीयता (एस. आई. सी.) के बावजूद सबूत, जैसा कि विडंबनापूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि जब एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "क्या मुझे सच नहीं सुनना है", तो अभियोजन पक्ष ने एक चौंका देने वाला जवाब दिया, "नहीं, आपके प्रभु। केवल सबूत सुनना है "।

39. अदालत ने चुनौती के तहत वैधानिक प्रावधान को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि इकबालिया बयान दर्ज करने की शक्ति "उच्च पुलिस" में निहित थी अधिकारी "जो अब तक एक न्यायिक अधिकारी द्वारा आनंदित किया गया था। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया या स्वीकृत मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए

स्वीकारोक्ति दर्ज करते समय, जो केवल सच्चे और स्वैच्छिक बयानों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा अभियोग-पूर्व पूछताछ में प्राप्त स्वीकारोक्ति, जो एक एस. पी. से कम रैंक का न हो, दागी न हो। 23 21 21 (1994) 3 एससीसी 569

(2) जिस व्यक्ति से अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है, उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जिसे बिना किसी अनुचित देरी के यांत्रिक उपकरण पर लिखित या दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति के मूल बयान के साथ नियम 15 (5) के तहत स्वीकारोक्ति भेजी जानी चाहिए। (3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरोपी द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बयान, यदि कोई हो, को सावधानीपूर्वक दर्ज करना चाहिए और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए और यातना की किसी भी शिकायत के मामले में, व्यक्ति को सहायक सिविल सर्जन से कम रैंक के चिकित्सा अधिकारी के सामने चिकित्सा जांच के लिए पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए; [2022] 9 एस. सी. आर.

40. राजस्थान राज्य में v. अजीत सिंह, 2 4 टाडा की धारा 15 के प्रावधानों पर विचार करते हुए इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ

कर्तार सिंह में निर्णय के लिए विज्ञापित, यह देखते हुए किः

" 10. यह देखा जाएगा कि धारा 15 सामान्य कानून से एक स्पष्ट विचलन है कि एक पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान नहीं है।

साक्ष्य में अनुज्ञेय। कर्तार सिंह मामले में [(1994) 3 एससीसी

569 : 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 899] इस न्यायालय ने धारा 15 की शक्तियों को बरकरार रखते हुए बार-बार इस प्रावधान की गंभीरता पर ध्यान दियाः एक ने पूरी तरह से एक नई प्रक्रिया निर्धारित की और इस बात पर जोर दिया कि

अधिनियम और नियमों के प्रावधान सावधानीपूर्वक होने चाहिए।

संबंधित प्रावधानों के विशेष संदर्भ में अवलोकन किया गया

स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग "।

41. महाराष्ट्र राज्य में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

वी. कमाल अहमद 2 5 ने एक स्वीकारोक्ति की वैधता पर चर्चा की जो मकोका के तहत दर्ज की गई थी। न्यायालय ने कहा कि चूंकि मकोका की धारा 18 साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में निर्धारित नियम के लिए एक अपवाद है, इसलिए इसकी "उसके तहत विचार किए गए सीमित उद्देश्य के लिए" सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। याकूब अब्दुल रज़ाक में

मेमन वी. महाराष्ट्र राज्य, 26 इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि टाडा की धारा 15 और नियम 15 के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है, इससे पहले कि एक पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति कानून में स्वीकार्य हो। रणजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य, 27 दो न्यायाधीश (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, महानगरों में सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे और कहीं भी पुलिस उपाधीक्षक या समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी को इस अधिनियम 1987 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच नहीं करनी चाहिए।

इस अधिनियम के कठोर प्रावधानों को देखते हुए यह आवश्यक है। इससे भी अधिक जब धारा 17 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धारा 13 के तहत अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956, उन निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच करने के लिए केवल एक निर्दिष्ट रैंक के पुलिस अधिकारी को अधिकृत करता है।

(5) यदि पुलिस अधिकारी न्यायिक अभिरक्षा से पूर्व-अभियोग या पूर्व-विचारण पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति की अभिरक्षा की मांग कर रहा है, तो उसे न केवल इस तरह की अभिरक्षा का कारण बताते हुए, बल्कि पुलिस अभिरक्षा की मांग में देरी, यदि कोई हो, के लिए भी शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए।

(6) यदि पूछताछ के लिए लिया गया व्यक्ति, वैधानिक चेतावनी प्राप्त करने पर कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो उक्त बयान का उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है, तो पुलिस अधिकारी को प्रकटीकरण का बयान देने के लिए कोई मजबूरी किए बिना अपने दावे के अधिकार का सम्मान करना चाहिए "24 (2008) 1 एस. सी. सी. 601

25 (2013) 12 एससीसी 17

26 (2013) 13 एससीसी 1

27 (2002) 8 एस. सी. सी. 73 जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इस न्यायालय की पीठ ने उल्लेख किया कि एक अतिरिक्त न्यायाधीश। एस. पी. (पी. डब्ल्यू. 4) ने एस. पी. (पी. डब्ल्यू. 3) के मौखिक निर्देशों पर दो अभियुक्तों के इकबालिया बयान दर्ज किए, जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया कि वे प्रशासनिक पदानुक्रम में उनसे ऊपर थे। अभियुक्त को आधा घंटा दिया गया था, जो 18-20 दिनों की पुलिस हिरासत से निकला था, यह सोचने के लिए कि क्या उन्हें अपना बयान देना चाहिए। इस अदालत ने कहा कि आधा घंटा अपर्याप्त था ताकि अभियुक्त प्रतिबिंबित कर सके। एडिशनल के प्रवेश पर ध्यान देने के बाद। एस. पी. ने कहा कि जिस एस. पी. ने उन्हें स्वीकारोक्ति दर्ज करने का निर्देश दिया था, वह प्रशासनिक पदानुक्रम में उनसे ऊपर था, अदालत ने कहाः

" 19. इकबालिया बयान दर्ज करने का एक और पहलू है

पीडब्लू 4 के बयान। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वह एडिशनल एसपी थे। प्रशासनिक पदानुक्रम में वे पी. डब्ल्यू. 3 श्री निवास वशिष्ठ, एस. पी. से निचले पद पर थे। राज्य के लिए विद्वान वकील पीडब्लू 4-एक पुलिस अधिकारी, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का दर्जा स्थापित करने के लिए कोई नियम, विनियमन या अन्य प्रावधान नहीं दिखा पाए हैं। यह स्थापित करने के लिए हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं लाया गया कि वह एक पुलिस अधिकारी था जो रैंक में उससे कम नहीं था। पुलिस अधीक्षक। हालाँकि, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही पीडब्लू 4 द्वारा दर्ज किए गए दो इकबालिया बयानों को विचार से बाहर रखा गया हो, फिर भी दोषसिद्धि को केवल पीडब्लू 3 द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयानों के आधार पर ही बरकरार रखा जा सकता है। पीडब्लू 3 द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयानों के संबंध में हम पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। "

42. इसलिए, उपरोक्त निष्कर्ष ने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा एक विशिष्ट स्वीकारोक्ति को चालू कर दिया। एस. पी. ने कहा कि एस. पी. प्रशासनिक पदानुक्रम में उनसे ऊपर था और अतिरिक्त अधिकारी का दर्जा स्थापित करने के लिए कोई नियम, विनियमन या प्रावधान पेश करने में राज्य की अक्षमता पर। एसपी।

43. धारा 18 (1) एम. सी. ओ. सी. ए. में कहा गया है कि "अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी के सामने किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इकबालिया बयान।

पुलिस "अन्य वैधानिक शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगी। द.

एमसीओसीए के कुछ अन्य प्रावधानों में "पद से नीचे नहीं" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। धारा 14 (10) में "अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे का अधिकारी" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जबकि यह निर्दिष्ट किया गया है कि कौन एक जांच पुलिस अधिकारी को तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचार को रोकने के लिए अधिकृत करने का अधिकार रखता है। धारा 23 तीन संदर्भों में "पुलिस अधिकारी के पद से नीचे नहीं" या, जैसा भी मामला हो, "के पद से नीचे का पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति का उपयोग करता हैः पहला, संगठित [2022] 9 एस. सी. आर. के अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने के संबंध में।

अपराध; दूसरा, मकोका के प्रावधानों के तहत किसी अपराध की जांच के संबंध में; और तीसरा, अदालत द्वारा मकोका के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेना। अधिनियम के तहत संगठित अपराध के अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने पर, धारा 23 (1) (ए) के तहत एक पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। पुलिस उप महानिरीक्षक का पद। धारा 23 (1) (बी) एक पुलिस अधिकारी द्वारा मकोका के तहत अपराध की जांच को प्रतिबंधित करती है।

डिप्टी एसपी के पद से नीचे। इससे पहले कि अदालत एक का संज्ञान ले

अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत अपराध के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से कम के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

44. अपीलार्थियों का निवेदन है कि विधायिका थी

धारा 23 (1) (ए) और धारा 23 (1) (बी) में डिप्टी एसपी। कटौती की प्रक्रिया द्वारा, यह आग्रह किया गया है कि जब धारा 18 (1) में, विधायिका "पुलिस अधीक्षक" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है, यह अच्छी तरह से "या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक" शब्दों का उपयोग कर सकता है क्योंकि इसने ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों में "अतिरिक्त" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। इस तर्क के आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि

धारा 18 (1) में "अतिरिक्त" अभिव्यक्ति से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि विधायिका का इरादा था कि केवल एस. पी. को ही स्वीकारोक्ति दर्ज करनी चाहिए।

45. प्रस्तुतिकरण जिसका पक्ष से आग्रह किया गया है

अपीलार्थियों को एम. सी. ओ. सी. ए. के कुछ अन्य प्रावधानों के साथ तुलना करके सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए। धारा 18 (1), मकोका के कुछ अन्य प्रावधानों की तरह जिनका उल्लेख किया गया है।

इससे पहले, "श्रेणी" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। पद "पद" पद को पदनाम या पद के साथ संयोजित या तुलनीय नहीं किया जा सकता है। पी रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन (1997 संस्करण) में, अभिव्यक्ति श्रेणी को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

" श्रेणी-वरीयता। आम बोलचाल में 'रैंक' शब्द, और अंग्रेजी बोलचाल में भी, एक पद को संदर्भित करता है, विशेष रूप से एक आधिकारिक पद को।

एक सामाजिक संगठन के भीतर, उच्च सामाजिक व्यवस्था या अन्य स्थायी स्थिति। इसी तरह, 'वरीयता' शब्द औपचारिक क्रम या औपचारिक अवसरों पर पालन की जाने वाली प्राथमिकता, या ज़ाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम के अधिकार को दर्शाता है।

अधिमान्य उपचार। एस. सी. एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम

भारत संघ, ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 268, 445. ”

46. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (पाँचवाँ संस्करण) इसी तरह अभिव्यक्ति "रैंक" को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

" रैंक, एन। समाज में स्थिति। गुणवत्ता या मूल्य का स्तर। आधिकारिक स्थिति का स्तर। वह क्रम या स्थान जिसमें कुछ अधिकारियों को दूसरों के संबंध में सेना और नौसेना में रखा जाता है। रैंक का उपयोग अक्सर कार्यालय से कुछ अलग व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यह एक पदनाम या सम्मान, गरिमा या विशिष्टता की उपाधि बन जाती है जो किसी अधिकारी को विशेषाधिकार, वरीयता और कभी-कभी कमान के मामलों में अन्य अधिकारियों के संदर्भ में अपनी सापेक्ष स्थिति तय करने के लिए प्रदान की जाती है, या जिसके द्वारा उसका वेतन और परिलब्धि निर्धारित की जाती है। सेना के कर्मचारी अधिकारियों के साथ ऐसा ही होता है। वुड वी। अमेरिका,

15 Ct.Cl। 151, 159. "

47. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ, 28 इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "पद" शब्द प्रधानता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ थाः

" 494. ..... इसी प्रकार में "प्रधानता" शब्द श्रेणी में प्रथम होने या औपचारिक अवस्था में होने की स्थिति को दर्शाता है अर्थात सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि "प्रधानता" शब्द न केवल "श्रेणी" और "प्रधानता" शब्दों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, बल्कि वैचारिक रूप से वे सभी एक ही परिवार और नस्ल, वर्ग के हैं।

और पदार्थ "।

48. विधायिका ने धारा 18 में "पदनाम" या "पद" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया है, लेकिन दूसरी ओर, "पद" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। असली सवाल यह है कि क्या एस. पी. का पद इसके भीतर एक अतिरिक्त अधिकारी को समझता है। एसपी। यदि कोई अतिरिक्त। एस. पी. एस. पी. से निम्नतम रैंक का होता है तो स्पष्ट रूप से अतिरिक्त रैंक का धारक होता है। एस. पी. धारा 18 (1) के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने में सक्षम नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि कोई अतिरिक्त है। एस. पी. एक एस. पी. के समान पद से संबंधित है और अतिरिक्त एस. पी. पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होगा। एस. पी. एक स्वीकारोक्ति दर्ज कर रहा है। चाहे वह एक अतिरिक्त हो। एस. पी. ने पूरा किया

एम. सी. ओ. सी. ए. के अन्य प्रावधानों पर सतही विचार करने पर "पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी" के विवरण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर स्वतंत्र रूप से निकाला जाना चाहिए।

49. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है -

अभिव्यक्ति "एक अखिल भारतीय सेवा" का अर्थ है "भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जानी जाने वाली सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के रूप में जानी जाने वाली सेवा या धारा 2ए में निर्दिष्ट कोई अन्य सेवा"। धारा 3 (1) केंद्र सरकार को संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के बाद अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954 बनाए हैं। नियम 2 (ए) 'कैडर अधिकारी' शब्द को 'भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य' के रूप में परिभाषित करता है। नियम 2 (बी) 'संवर्ग पद' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ भारतीय पुलिस सेवा की अनुसूची में प्रत्येक संवर्ग के मद 1 के तहत निर्दिष्ट किसी भी पद से है।

(संवर्ग शक्ति का निर्धारण) नियम 1955। नियम 1 (2) में निर्धारित किया गया है कि विभिन्न राज्यों की भारतीय पुलिस सेवा के कैडर के जिन पदों पर काम किया जाता है और उनकी संख्या और संरचना विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूची में राज्यों से संबंधित प्रविष्टियाँ हैं, जिनमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। महाराष्ट्र से संबंधित प्रविष्टि नीचे दी गई है।

महाराष्ट्र

164

1. राज्य सरकार के तहत वरिष्ठ पद

1

पुलिस महानिदेशक-महाराष्ट्र

1

पुलिस महानिदेशक-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

1

प्रबंध निदेशक-महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास और कल्याण

निगम, मुंबई

1

एडल्ट। पुलिस महानिदेशक-कानून और व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

1

पुलिस आयुक्त-नागपुर शहर

1

पुलिस आयुक्त, मुंबई एडल्ट।
पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध जांच विभाग, 1 महाराष्ट्र राज्य, पुणे

एडल्ट। पुलिस महानिदेशक-राज्य खुफिया विभाग, 1 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

पुलिस आयुक्त, ठाणे शहर

1

पुलिस आयुक्त, पुणे शहर

1

62 जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्य महाराष्ट्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्र

एडल्ट। पुलिस महानिदेशक-प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, एमआई

1

एडल्ट। पुलिस महानिदेशक-संस्थान। , एम. एस, मुंबई। एडल्ट। पुलिस महानिदेशक-राज्य आरक्षित पुलिस बल। एम. एस. एडल। पुलिस महानिदेशक-प्रशासन। , एम. एस, मुंबई।

विशेष पुलिस महानिरीक्षक-ठाणे क्षेत्र विशेष पुलिस महानिरीक्षक-कोहलापुर क्षेत्र

विशेष पुलिस महानिरीक्षक-नासिक क्षेत्र

विशेष पुलिस महानिरीक्षक-नागपुर क्षेत्र

विशेष पुलिस महानिरीक्षक-अमरावती क्षेत्र

विशेष पुलिस महानिरीक्षक-औरंगाबाद क्षेत्र

विशेष पुलिस महानिरीक्षक-नांदेड़ क्षेत्र स्प्ल. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध जांच विभाग, पुणे

स्प्ल. पुलिस महानिरीक्षक राज्य रिजर्व पुलिस बल, पुर विशेष। पुलिस महानिरीक्षक नागरिक अधिकार संरक्षण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

स्प्ल. पुलिस महानिरीक्षक-इस्ट। , मुंबई

स्प्ल. पुलिस महानिरीक्षक-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एम. एस., पु स्प्ल. पुलिस महानिरीक्षक-अपराध जांच विभाग पुणे

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), बृहन्मुंबई

संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था), बृहन्मुंबई संयुक्त पुलिस आयुक्त, ठाणे शहर

संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुणे शहर

संयुक्त पुलिस आयुक्त, नागपुर शहर संयुक्त पुलिस आयुक्त-राज्य खुफिया विभाग, एम. एस.

संयुक्त पुलिस आयुक्त-यातायात, बृहन्मुंबई

संयुक्त पुलिस आयुक्त-आतंकवाद रोधी दस्ते, एम. एस., मुंबई

पुलिस आयुक्त, नवी मुंबई

पुलिस आयुक्त-रेलवे, मुंबई

पुलिस आयुक्त-नासिक शहर

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस आयुक्त-औरंगाबाद शहर निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक

1

पुलिस, उत्तर क्षेत्र, बृहन्मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त

1

पुलिस, दक्षिण क्षेत्र, बृहन्मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त

पुलिस विभाग, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, बृहन्मुंबई अतिरिक्त आयुक्त

1

पुलिस, मध्य क्षेत्र, बृहन्मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त

1

पुलिस आयुक्त, अपराध, बृहन्मुंबई अतिरिक्त

पुलिस आयुक्त, सशस्त्र, बृहन्मुंबई अतिरिक्त

1

पुलिस विभाग, विशेष शाखा (1), बृहन्मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त

1

पुलिस, सुरक्षा और सुरक्षा विभाग, बृहन्मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त

1

पुलिस/पुलिस उप महानिरीक्षक-एंटी एडिशनल कमिश्नर

भ्रष्टाचार ब्यूरो, मुंबई

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध, ठाणे शहर

1

पुलिस-आर्थिक अपराध शाखा, बृहन्मुंबई अतिरिक्त आयुक्त

1

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-अपराध, पुणे शहर

जोड़ें! पुलिस आयुक्त-अपराध, नागपुर शहर

1

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-प्रशासन। , नागपुर शहर

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-क्षेत्र, ठाणे शहर एडल्ट। पुलिस आयुक्त-पूर्वी क्षेत्र

1

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-प्रशासन, पुणे शहर

1

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-जोन, पुणे शहर

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-दक्षिण क्षेत्र, पुणे शहर

1

1

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-पूर्वी क्षेत्र, ठाणे शहर

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-पश्चिम क्षेत्र। ठाणे शहर एडल्ट। पुलिस आयुक्त क्षेत्र-1, नागपुर शहर

एडल्ट। पुलिस आयुक्त-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुंबई

पुलिस आयुक्त-सोलापुर शहर

पुलिस आयुक्त, अमरावती शहर

1

पुलिस उप महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य, 1 मुंबई

पुलिस उप महानिरीक्षक-प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुनिबाई 1

1

उप निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक

पुलिस उप महानिरीक्षक राज्य रिजर्व पुलिस बल, 1 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य। 1

जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्य

आराष्ट्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ए.

मुंबई पुलिस उप महानिरीक्षक-आतंकवाद रोधी दस्ते, मुंबई

1

1

पुलिस उप महानिरीक्षक-बल-1, मुंबई

10

पुलिस उपायुक्त-जोन I-X, बृहन्मुंबई

पुलिस उपायुक्त-मादक पदार्थ निरोधक प्रकोष्ठ, बृहन्मुंबई

1

बी.

पुलिस उपायुक्त-जोन I से IV, ठाणे शहर

3

पुलिस उपायुक्त-जोन I से III, पुणे शहर

1

पुलिस उपायुक्त-विशेष शाखा, पुणे शहर

3

पुलिस उपायुक्त-जोन I से III, नागपुर शहर

1

पुलिस उपायुक्त-विशेष शाखा, नागपुर शहर

एस.

1

पुलिस उपायुक्त, रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मुंबई

2

पुलिस अधीक्षक, रेलवे, पुणे और नागपुर

1

पुलिस अधीक्षक-रायगढ़ पुलिस अधीक्षक-ठाणे ग्रामीण

1

पुलिस अधीक्षक-रत्नागिरी

1

पुलिस अधीक्षक-सिंधुदुर्ग

डी.

पुलिस अधीक्षक-नासिक ग्रामीण

1

1

पुलिस अधीक्षक-अहमदनगर

पुलिस अधीक्षक-जलगाँव

पुलिस अधीक्षक-धुले

पुलिस अधीक्षक-कोल्हापुर

ई.

पुलिस अधीक्षक-पुणे ग्रामीण

1

पुलिस अधीक्षक-सतारा

1

पुलिस अधीक्षक-सांगली

1

पुलिस अधीक्षक-सोलापुर ग्रामीण

1

पुलिस अधीक्षक-औरंगाबाद ग्रामीण

1

एफ.

पुलिस अधीक्षक-जालना

1

पुलिस अधीक्षक-बीड

1

पुलिस अधीक्षक-उस्मानाबाद

पुलिस अधीक्षक-नांदेड़

पुलिस अधीक्षक-लातूर पुलिस अधीक्षक-परभणी

जी.

1

पुलिस अधीक्षक-नागपुर ग्रामीण

1

पुलिस अधीक्षक-भंडारा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस अधीक्षक-चंद्रपुर

1

पुलिस अधीक्षक-गढ़चिरौली

पुलिस विभाग-गढ़चिरौली (दक्षिण) पर्यवेक्षित

1

पुलिस अधीक्षक-वर्धा

1

पुलिस अधीक्षक-अमरावती ग्रामीण

1

पुलिस अधीक्षक-अकोला

पुलिस अधीक्षक-यवतमाल

पुलिस अधीक्षक-बुलढाना

1

पुलिस अधीक्षक-नंदुरबार

पुलिस अधीक्षक-हिंगोली

पुलिस अधीक्षक-वाशिम

1

कमांडेंट, राज्य रिजर्व पुलिस बल, जीआर, I, II पुणे, IV नागपुर, VIII 5 मुंबई और XI नवी मुंबई पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय-I), बृहन्मुंबई पुलिस उपायुक्त विशेष शाखा-I, बृहन्मुंबई

1

पुलिस उपायुक्त, यातायात (मुख्यालय), बृहन्मुंबई पुलिस अधीक्षक, एस. आई. डी., (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, नवी मुंबई

1

पुलिस उपायुक्त-अपराध जांच-I, बृहन्मुंबई पुलिस उपायुक्त-एल. ए.-I, बृहन्मुंबई

1

पुलिस उपायुक्त-उपनगरीय यातायात, बृहन्मुंबई पुलिस उपायुक्त-जोन-! , नवी मुंबई

1

पुलिस उपायुक्त-मुख्यालय, नासिक शहर

1

पुलिस उपायुक्त-मुख्यालय, सोलापुर शहर

1

पुलिस उपायुक्त-मुख्यालय, अमरावती शहर पुलिस अधीक्षक-अपराध जांच विभाग उपायुक्त (अपराध), पुलिस का नागपुर-राज्य खुफिया उपायुक्त विभाग, पुणे

पुलिस-यातायात, पुणे उप नगर

1

पुलिस आयुक्त-मुख्यालय, औरंगाबाद शहर पुलिस अधीक्षक-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधीक्षक, नागपुर

1

पुलिस-अपराध जांच प्राचार्य-विभाग, औरंगाबाद पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय प्राचार्य, नागपुर

1

1

- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाला

1

1

पुलिस अधीक्षक-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ठाणे

पुलिस अधीक्षक-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुणे

कोई नहीं।

पुलिस उपायुक्त-जोन-II, बृहन्मुंबई

1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद

164

2. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भंडार उपरोक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं

65

3. राज्य प्रतिनियुक्ति भंडार उपरोक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं

41

4. प्रशिक्षण भंडार उपरोक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं

05

5. छुट्टी आरक्षित और कनिष्ठ पद आरक्षित 16.5% से अधिक नहीं

27

ऊपर आइटम 1

91

6. भारतीय संविधान के नियम 9 के तहत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954, उपरोक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं

211

7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (आइटम 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6)

302

कुल अधिकृत शक्ति

50. अनुसूची इंगित करती है कि संवर्ग की संख्या विभिन्न पदों के बीच वितरित की जाती है जिनमें शामिल हैं:

ए। पुलिस महानिदेशक;

सी। पुलिस आयुक्त;

डी। विशेष पुलिस महानिरीक्षक;

ई. संयुक्त पुलिस आयुक्त;

एफ. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त;

जी। पुलिस उप महानिरीक्षक;

एच. पुलिस अधीक्षक;

आई. कमांडेंट, राज्य रिजर्व पुलिस बल; और

जे. पुलिस उपायुक्त।

51. 16 अक्टूबर 2018 को, केंद्र सरकार ने आई. पी. एस. (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 4 के उप-नियम 1 और 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग शक्ति का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम 2018 को अधिसूचित किया। भारतीय पुलिस सेवा की अनुसूची [2022] 9 एस. सी. आर.

[s07 [[~ PTR _ MID]

" महाराष्ट्र

172

राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक, महारासबारा के तहत वरिष्ठ कर्तव्य पद पुलिस महानिदेशक-भ्रष्टाचार रोधी बरेयन प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र, राज्य पोलस आवास और कल्याण निगम, मुंबई महानिदेशक कानूनी और तकनीकी, महाराष्ट्र राज्य। मुंबा

आई.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-कानून और व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। पुलिस आयुक्त, नागपुर शहर पुलिस के संरक्षक, बृहन्मुंबई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध जांच विभाग, महाराष्ट्र राज्य। पुणे। 1 1

आयुक्त, राज्य खुफिया विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

1

पुलिस आयुक्त। ठाणे शहर

पुलिस आयुक्त, पुणे शहर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। पुलिस महानिदेशक-प्रशिक्षण और विशेष इकाइयाँ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

1

एडल्ट। पुलिस महानिदेशक-प्रा. एमएस, मुंबई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य रिजर्व पुलिस बल, एमएस, मुंबई

आई.

1

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, एमएस मुंबई

आई.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एमएस मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना और समन्वय, एमएस, मुंबई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजमार्ग यातायात, एमएस, माम्बट

आई.

पुलिस आयुक्त। नवी मुंबई

आई.

एडल्ट। डी. जी. पी. आतंकवाद रोधी दस्ते, महाराष्ट्र राज्य। मुंबई

1

पुलिस महानिरीक्षक। कोंकण रेंज पुलिस महानिरीक्षक। कोल्हापुर रेंज

1

पुलिस महानिरीक्षक, नासिक रेंज पुलिस महानिरीक्षक, नागपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक। अमरावती रेंज

आई.

पुलिस महानिरीक्षक, औरंगाबाद रेंज पुलिस महानिरीक्षक। नांदेड़ रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, अपराध जांच विभाग, एम. एस. पुणे

पुलिस महानिरीक्षक, वोनेन के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम, महाराष्ट्र राज्य। पॉहसे के मुंबई महानिरीक्षक। एस्ट, मुंबई पुलिस महानिरीक्षक। (पश्चिम क्षेत्र, अपराध जाँच विभाग। एमएस। पाट संयुक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध), बृहन्मुंबई

आई.

पुलिस प्रशासन के जिला आयुक्त, बृहन्मुंबई के जिला पुलिस आयुक्त (कानून और आदेश, ब्राह्मण मुंबई)

1

संयुक्त पुलिस आयुक्त। ठाणे शहर

आई.

पुलिस के जिला आयुक्त, पुणे शहर

1

संयुक्त पुलिस आयुक्त, नागपुर शहर

1

संयुक्त पुलिस आयुक्त, राज्य खुफिया विभाग। एमएस। मुंबई

1

जूम पुलिस आयुक्त। यातायात। ब्राह्मण मुंबई

1

पुलिस आयुक्त, रेलवे, मुंबई

1

पुलिस आयुक्त, नासिक शहर

1

औरंगाबाद शहर के पुलिस आयुक्त

1

निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासक जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम।

पुलिस महानिरीक्षक। (साइबर सुरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा, अपराध जांच विभाग, 1 महाराष्ट्र राज्य, पुणे

संयुक्त पुलिस आयुक्त। नवी मुंबई

आई.

पुलिस महानिरीक्षक (एल एंड ओ), एमएस, मुंबई

|

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), एमएस, मुंबई

आई.

संयुक्त पुलिस आयुक्त। ईओडब्ल्यू, बृहन्मुंबई

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उत्तर क्षेत्र बृहन मुंबई अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र। बृहन्मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पश्चिम क्षेत्र। बृहन्मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र, बृहन्मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, बृहन्मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सशस्त्र पुलिस, बृहन्मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा, बृहन्मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सुरक्षा और सुरक्षा, बृहन्मुंबई

आई.

डी. जी. पी. सी. आई. डी एमएस पुणे

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। अपराध शाखा, ठाणे शहर

आई.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-अपराध शाखा, पुणे शहर

आई.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-अपराध शाखा। नागपुर शहर

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (उत्तर क्षेत्र)। नागपुर

1

पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त आयुक्त। ठाणे शहर

आई.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, बृहन्मुंबई

आई.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। प्रशासन। पुणे शहर

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उत्तर क्षेत्र, पुणे शहर

आई.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। दक्षिण क्षेत्र, पुणे शहर

|

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र। ठाणे शहर

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पश्चिम क्षेत्र। ठाणे शहर

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र, नागपुर शहर

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बृहन्मुंबई

1

पुलिस आयुक्त, सोलापुर शहर

1

पुलिस आयुक्त, अमरावती शहर

1

संयुक्त निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक

1

पुलिस उप महानिरीक्षक राज्य रिजर्व पुलिस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पुलिस उप महानिरीक्षक-आतंकवाद विरोधी दस्ते, पुणे

1

डी. पुलिस महानिरीक्षक। साइबर सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

आई.

डी. पुलिस महानिरीक्षक। गढ़चिरौली रेंज अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, बृहन्मुंबई

1

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन), नवी मुंबई

1

पुलिस उप महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा, अपराध जांच विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे।

पुलिस उपायुक्त-जोन 1-X। बृहन्मुंबई

10

पुलिस उपायुक्त-मादक पदार्थ निरोधक प्रकोष्ठ, बृहन्मुंबई

1

पुलिस उपायुक्त-जोन I से IV, ठाणे शहर

4

पुलिस उपायुक्त-जोन 1 से III। पुणे शहर

3

पुलिस उपायुक्त-विशेष शाखा, पुणे शहर

1

पुलिस उपायुक्त-जोन I से III, नागपुर शहर

[2022] 9 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग 1-खान []) डी.

भारत का राजपत्रः अनुशासन

पुलिस उपायुक्त-विशेष शाखा, नागपुर शहर पुलिस उपायुक्त-पश्चिमी रेलवे, मुंबई पुलिस अधीक्षक, रेलवे। पुणे और नागपुर

2

पुलिस अधीक्षक, रायगढ़

1

पुलिस अधीक्षक। ठाणे ग्रामीण

1

पुलिस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग पुलिस अधीक्षक। नासिक ग्रामीण

आई.

पुलिस अधीक्षक। अहमदनगर

1

पुलिस अधीक्षक। जलगाँव

1

पुलिस अधीक्षक। धुले

आई.

पुलिस अधीक्षक। कोल्हापुर

✔पुलिस अधीक्षक। पुणे ग्रामीण

पुलिस अधीक्षक। सतारा

पुलिस अधीक्षक, सांगली

1

पुलिस अधीक्षक, सोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, जालना

पुलिस अधीक्षक। बीड।

पुलिस अधीक्षक, उस्मानाबाद

1

पुलिस अधीक्षक। नांदेड़

1

पुलिस अधीक्षक, लातूर

1

पुलिस अधीक्षक। परभणी

आई.

पुलिस अधीक्षक, नागपुर। ग्रामीण

आई.

पुलिस अधीक्षक, भंडारा

1

पुलिस अधीक्षक। चंद्रपुर

1

पुलिस अधीक्षक। गढ़चिरौली

1

पुलिस अधीक्षक। वर्धा

1

पुलिस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण

1

पुलिस अधीक्षक, अकोला

1

पुलिस अधीक्षक। यवतमाल

1

पुलिस अधीक्षक, बुलढाना

1

पुलिस अधीक्षक, नंदुरबार

|

पुलिस अधीक्षक। हिंगोली

1

पुलिस अधीक्षक, वाशिम

1

पुलिस अधीक्षक। गोंडिया

1

कमांडेंट। राज्य आरक्षित पुलिस बल। ग्रा. , II पुणे, IV नागपुर। VIII मुंबई और XI नवी 5 मुंबई

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय-1), बृहन्मुंबई पुलिस उपायुक्त। विशेष शाखा-1. बृहन्मुंबई पुलिस उपायुक्त, डिटेक्शन-1. अपराध शाखा, मुंबई

1

पुलिस उपायुक्त, एल. ए.-आई. बृहन्मुंबई

आई.

पुलिस उपायुक्त-जोन-1, नवी मुंबई पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय नासिक शहर

1

पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग, नागपुर

|

पुलिस उपायुक्त, यातायात। पुणे शहर

1

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय। औरंगाबाद शहर

1 जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचू]

10

भारत का राजपत्रः असाधारण

(भाग 11-एस. ई.

सी. मिल

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागपुर
पुलिस अधीक्षक, अपराध जाँच विभाग, औरंगाबाद

प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपुर
पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ठाणे

डी. सी. पी., ई. ओ. डब्ल्यू. विंग्स, बृहन्मुंबई
डीसीपी, जोन-XI, बृहन्मुंबई

डीसीपी। जोन-बारहवाँ, बृहन्मुंबई
डीसीपी। विशेष शाखा, ठाणे

एसपी। पालघा

डी. सी. पी., राज्य खुफिया विभाग, नागपुर
डी. सी. टी., जोन IV। नागपुर

एसपी। अपराध जाँच विभाग। पुणे
प्रधानाचार्य। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मारेड

1

डीसीपी। अपराध शाखा। एमे।
डी. सी. पी., अपराध शाखा, थन

(प्रशासन राज्य खुफिया विभाग, मुंबई के उपायुक्त
डीसीपी (मुख्यालय), नवी मुंबई

कुल सीनियर ड्यूटी पंट्स

68

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से ऊपर 1 के 407 से अधिक नहीं आरक्षित राशि

43

राज्य प्रतिनियुक्ति से ऊपर मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं

06

3 4 प्रशिक्षण भंडार से ऊपर 337 एल नोम से अधिक नहीं

28

लीव रिजर्व और जूनियर पोंट्स के ऊपर हेम 1 के 16.3% से अधिक नहीं आरक्षित

96

3 पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1934 भारतीय पदों के नियम 9 के तहत पदोन्नति द्वारा 2,3 और 4 के 6,33,11,37% से अधिक नहीं भरे जाएंगे।

रिक्रूटमेन (अर्थात् 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6) डायरेक्ट द्वारा भरे जाने वाले पोंट

7

317 "

कुल अधिकृत शक्ति

[एफ. संख्या 11052/04/2017-ए. आई. एस।। (ए)।

ज्योत्स्ना गुप्ता, अवर सचिव। महाराष्ट्र संवर्ग की ताकत 303 थी। (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पहले, एस. आर. ओ. सं. 3350 दिनांक (2) के माध्यम से भारत के राजपत्र में कुल अधिकृत टिप्पणीः महाराष्ट्र संवर्ग के संबंध में प्रमुख विनियम 22 अक्टूबर 1955 तक नोट में प्रकाशित किए गए थे। इन्हें बाद में संशोधित किया गया।

जी. एस. आर. नं. और डे।

तिथि

जी. एस. आर. नं.

एस. नं.

तिथि

जी. एस. आर. नं.

एस. नं.

16 10 93

507 (ई)

8 .

15.05 76

340 (ई)

1 .

31 03.95

320 (ई)

12.11.77

1534

2

10 बीबीडी।

31.12.97

740 (ई)

30.11.79

654 (ई)

जे.

07.08.98

484 (ई)

11 .

20.04.83

344 (ई)

13.12.03

428

12 .

23.02.84

197

एस.

24.03.200
9

192 (ई)

13 .

25.01.92

34

6 .

30.03.201
0

239 (ई)

23.05.92

14 .

237

7 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. हमने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 और भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम को अपनाया है। 1951. उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर गठित कैडर संख्या के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 1975 को बनाए गए नियमों का विज्ञापन करना आवश्यक हो जाता है।

एस. पी. और पुलिस उपायुक्त के गैर-संवर्ग पदों पर भर्ती। गैर-संवर्ग पदों को नियंत्रित करने वाले इन नियमों को पुलिस अधीक्षक कहा जाता है और पुलिस उपायुक्त (गैर संवर्ग) भर्ती नियम 1976.29 नियम 2 निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 2. जब तक कि यह पद पुलिस अधीक्षक के गैर-संवर्ग पद पर आई. पी. एस. अधिकारी की नियुक्ति से नहीं भरा जाता है।

(पुलिस उपायुक्त सहित) द्वारा बनाया जा सकता है राज्य पुलिस सेवा से एक उपयुक्त अधिकारी की पदोन्नति, जिसे डिप्टी के रूप में छह साल की निरंतर सेवा का श्रेय प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या ऐसे पद पर जो राज्य सरकार की राय में समकक्ष पद का हो।

53. इन नियमों में 9 जून 1987 को संशोधन किया गया था। 1976 के नियमों के नियम 2 में संशोधन किया गया था ताकि छह साल की निरंतर सेवा के लिए सात साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता को प्रतिस्थापित किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए इन नियमों से संकेत मिलता है कि आई. पी. एस. से लिए गए एस. पी. की संवर्ग संख्या के अलावा, गैर-संवर्ग एस. पी. और डी. सी. पी. हैं जिन्हें 1975 के नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

54. राज्य द्वारा दाखिल किया गया जवाबी हलफनामा

यह इंगित करता है कि वर्तमान मामलों में पंद्रह इकबालिया बयान दर्ज किए गए हैं। स्वीकारोक्ति का विवरण नीचे दिया गया हैः

श्री श्रीधर का 13 अप्रैल 2019 का इकबालिया बयान

ए।

अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अभिलिखित शिजवी कांबले (अभियुक्त संख्या 17)।

एसपी, सतारा;

बी।

श्री मुशफीक का 13 अप्रैल 2019 का इकबालिया बयान

निबीखान पठान (अभियुक्त नं. 20), एडिएल द्वारा दर्ज किया गया।

एसपी, सतारा;

29 " 1976 नियम "अकीर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्यशास्त्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

श्री साहिल का 13 अप्रैल 2019 का इकबालिया बयान नियाज मुजावर (अभियुक्त नं. 15), एडिएल द्वारा दर्ज किया गया।

एसपी, सतारा;

श्री अजय बालासो कांबले का 14 अप्रैल 2019 का इकबालिया बयान (अभियुक्त नं. 13), एडिएल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, सांगली;

श्री जाकिर अब्दुल मियाजकर का 9 मई 2019 का इकबालिया बयान (अभियुक्त नं. 31) (याचिकाकर्ता) अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अभिलिखित। एसपी, सांगली;

श्री राकेश मदनलाल अग्रवाल का 13 मई 2019 का इकबालिया बयान (अभियुक्त नं. 30) एडिशनल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, बारामती, जि. पुणे (ग्रामीण);

श्री अंकुश का 13 मई 2019 का इकबालिया बयान मारुति वाग्रे (अभियुक्त नं. 32), एडिएल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, बारामती जिला। पुणे (ग्रामीण);

श्री सुरेश जयवंत सावंत का 6 जून 2019 का इकबालिया बयान (अभियुक्त नं. 34) एडिशनल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, सांगली;

श्री शैलेश गुणवंतराव मणियार का 16 जून 2019 का इकबालिया बयान (अभियुक्त नं. 37) एडिशनल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, बारामती, जि. पुणे (ग्रामीण);

श्री जायेश शेवंतीलाल शाह का 18 जून 2019 का इकबालिया बयान (अभियुक्त नं. 36) एडिएल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, बारामती जिला। पुणे (ग्रामीण);

श्री विरल का 24 जून 2019 का इकबालिया बयान प्रकाश सावला (अभियुक्त नं. 38) एडिशनल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, बारामती जिला। पुणे (ग्रामीण);

श्री जितेंद्र @जीतू कांतिलाल गोसालिया का 27 जून 2019 का इकबालिया बयान (अभियुक्त नं. 39) एस. पी., सतारा द्वारा अभिलिखित;

श्री जायेश का 25 जुलाई 2019 का इकबालिया बयान

हिरजी सावला (अभियुक्त नं. 40) एडिएल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, पुणे (ग्रामीण); [2022] 9 एस. सी. आर.

श्री का 12 अगस्त 2019 का इकबालिया बयान

एन.

राजेंद्र @राजू धरमसे दवे @टोपी (अभियुक्त नं. 41) एडिशनल द्वारा दर्ज किया गया। एस. पी., सतारा; और
श्री का 23 सितंबर 2019 का इकबालिया बयान

0 .

मनीष किशोर अग्रवाल (अभियुक्त नं. 42) एडिशनल द्वारा दर्ज किया गया। एसपी, बारामती पुणे (ग्रामीण)।

55. इस प्रकार पंद्रह में से चौदह इकबालिया बयान एडिएल द्वारा दर्ज किए गए हैं। एसपीएस। पंद्रहवाँ (ऊपर क्रम 'एल' पर) एस. पी., सतारा द्वारा दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि "रैंक" और "पदों" के अलग-अलग अर्थ हैं। इसके अलावा, यह कहा गया है कि एक अतिरिक्त। एस. पी. एक एस. पी. के पद का होता है और उसके पास एस. पी. की सभी शक्तियां, कर्तव्य और कार्य निहित होते हैं। राज्य सरकार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 8 (3) के साथ धारा 8 (2) के प्रावधानों की तुलना करना चाहती है। धारा 8 (2) के तहत राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा अतिरिक्त आयुक्त को अधिकार दे सकती है। एस. पी. को एस. पी. की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का प्रयोग या प्रदर्शन करना। दूसरी ओर, धारा 8 की उप-धारा 3 में यह प्रावधान है कि जिला पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक को प्रदत्त किसी भी शक्ति और कार्यों को सौंप सकता है। राज्य सरकार का तर्क है कि जबकि धारा 8 (3) एक राज्य सरकार की शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान करती है।

एस. पी. से सहायक या उप एस. पी. तक, इसमें एस. पी. की शक्तियों को एक अतिरिक्त एस. पी. को सौंपने की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि अतिरिक्त एस. पी. एक ही पद का होता है और इसलिए, शक्तियों के हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

56. हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि धारा 18 (1) एम. सी. ओ. सी. ए. किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी विशिष्ट प्राधिकरण पर विचार नहीं करता है।

इकबालिया बयान दर्ज करने के उद्देश्य से एसपी के पद से नीचे। इसलिए पुलिस नियमावली के खंड 25 (2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य सरकार के रुख को पहले के भाग में विश्लेषण के अधीन पढ़ना होगा।

इस निर्णय से।

57. राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में बताया है कि एक ही रैंक के अधिकारी को पुलिस संगठन के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न पदों/पदों पर तैनात किया जा सकता है। एस. पी. के पद का ग्रेड वेतन रु. है।

6,600 / - और इसमें एडल शामिल है। एसपी, डीसीपी, कमांडेंट और प्रिंसिपल। यदि एस. पी. के पद पर तैनात कोई अधिकारीः

ए। एक आयुक्तालय क्षेत्र, फिर उसे डी. सी. पी. के रूप में तैनात किया जाता है;

बी। जिला क्षेत्र में, फिर उसे एस. पी. या अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

एसपी; जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सी। अपराध जाँच विभाग (सी. आई. डी.) या आतंकवाद-रोधी दस्ते

(ए. टी. एस.), फिर उसे एस. पी. के रूप में तैनात किया जाता है।

एक डी. सी. पी. एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत इकबालिया बयान दर्ज करने में सक्षम है। यदि कोई एस. पी. या एडिशनल हो। एस. पी. को आयुक्तालय के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, वह डी. सी. पी. के रूप में तैनात होता है और मकोका के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने में सक्षम होता है।

58. शपथ पत्र पर राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण का सुनवाई के दौरान पदोन्नति या नियुक्ति के आदेशों के आधार पर विधिवत समर्थन किया गया है जो रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए गए हैं। 1975 के नियमों में ए. डी. एल. के निर्माण का प्रावधान है। अतिरिक्त एस. पी. और डी. सी. पी. के गैर-संवर्ग पद। किसी आयुक्तालय में ए. सी. पी. या किसी जिले में उप-एस. पी. या निर्धारित अवधि के साथ उप-मंडल पुलिस अधिकारी निरंतर सेवा को डी. सी. पी. (आयुक्तालय में) या, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त आयुक्त के रूप में पदोन्नति पर तैनात किया जा सकता है। राज्य रिजर्व पुलिस बल में एस. पी. या कमांडेंट। एक अतिरिक्त। एस. पी., डी. सी. पी. और कमांडेंट एस. पी. के समान रैंक में होते हैं और ये पद स्थानांतरण पर विनिमेय होते हैं।

59. अपनी दलीलों के दौरान, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजा ठाकरे ने 1 अक्टूबर 2016 को जारी एक अधिसूचना को स्वीकार किया है।

महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2015-2016 के लिए पदोन्नति सूची को अधिसूचित करना। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया है कि, उदाहरण के लिए, सीरियल नंबर 11 (विवेक गोपालराव पाटिल) जो एक उप-मंडल पुलिस अधिकारी थे, को राज्य खुफिया विभाग में डीसीपी के रूप में पदोन्नत किया गया था। विभाग। श्री ठाकरे ने गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 27 जुलाई 2018 की एक अधिसूचना पर भी भरोसा किया है जिसमें पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है। क्रम संख्या। 86 (समाधान एन पवार) और 87 (संदीप जाधव) ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें डी. सी. पी. के रूप में तैनात किया गया था और उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। एसपीएस। एक डी. सी. पी. जब आयुक्तालय में तैनात होता है तो स्वीकारोक्ति दर्ज कर सकता है क्योंकि पदधारी एस. पी. के समान पद पर होता है। स्थानांतरण पर, एक डी. सी. पी. को अतिरिक्त अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है। एसपी और एसपी के समान पद पर बने हुए हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि एक अतिरिक्त। एस. पी. धारा 18 (1) एम. सी. ओ. सी. ए. में निर्दिष्ट विवरण को "पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का पुलिस अधिकारी" के रूप में पूरा नहीं करता है।

60. अपीलकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट से मुंबई पुलिस की संरचना को प्रस्तुत किया है। पुलिस। संदर्भ की सुविधा के लिए, इसे नीचे निकाला गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पदनाम

रैंक

संक्षिप्त रूप

पुलिस आयुक्त

पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

सी. पी

पुलिस महानिदेशक

विशेष पुलिस महानिरीक्षक

जे. टी. के संयुक्त आयुक्त सी. पी

पुलिस

पुलिस उप महानिरीक्षक

अतिरिक्त आयुक्त एडिशनल। सी. पी पुलिस की

पुलिस अधीक्षक (चयन)

उपायुक्त डी. सी. पी.

ग्रेड)

पुलिस

पुलिस अधीक्षक

उपायुक्त डी. सी. पी.

(कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड)

पुलिस उपायुक्त डी. सी. पी.

एडल्ट। पुलिस अधीक्षक (उससे कम)

10 सेवा के वर्ष)

पुलिस

उपायुक्त डी. सी. पी.

एडल्ट। पुलिस अधीक्षक (राज्य)

पुलिस सेवा)

पुलिस

पुलिस उपाधीक्षक

सहायक आयुक्त ए. सी. पी

पुलिस की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वरिष्ठ P.L./P.I।

पुलिस निरीक्षक

/ पुलिस निरीक्षक

सहायक पुलिस निरीक्षक

सहायक पुलिस निरीक्षक एपीआई

पुलिस उप निरीक्षक

पुलिस उप निरीक्षक

पी. एस.

सहायक पुलिस उप निरीक्षक

सहायक पुलिस उप ए. एस. आई.

इंस्पेक्टर

हेड कांस्टेबल

एच. सी

हेड कांस्टेबल

पुलिस नाइक

पुलिस नाइक

पीएन.

पुलिस सिपाही

पुलिस सिपाही

पी. सी

61. श्री अमित देसाई, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस पर भरोसा किया है

ऊपर का चित्रण। वेबसाइट पर निर्धारित संरचना का उस शक्ति, कार्यों या प्राधिकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिसका प्रयोग डी. सी. पी. (आयुक्तालय के भीतर) के पद के गैर-संवर्ग अधिकारियों द्वारा या, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त आयुक्त द्वारा किया जाता है। एस. पी. (जिला पोस्टिंग में)। उपरोक्त संरचना इंगित करती है कि एक डी. सी. पी. एस. पी. (चयन ग्रेड), एस. पी. (जूनियर) के पद पर हो सकता है।

प्रबंधन ग्रेड), अतिरिक्त। एसपी (दस साल से कम की सेवा) या अतिरिक्त। एसपी।

(राज्य पुलिस सेवा)। हालाँकि, यह आंतरिक वर्गीकरण इस बुनियादी स्थिति को बाधित नहीं करता है कि ये सभी रैंक डी. सी. पी. के पदनाम में शामिल हैं। एक डी. सी. पी., जब एक आयुक्तालय में तैनात होता है, तो वह एक एस. पी. के समान रैंक का होता है और इसलिए धारा 18 (1) के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज कर सकता है। एक डी. सी. पी. एक अतिरिक्त अधिकारी के साथ स्थानांतरण पर विनिमेय होता है। एसपी या एसपी। वह प्राधिकारी जो स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए डी. सी. पी. के पद से जुड़ा होता है

धारा 18 (1) के तहत जब पोस्टिंग किसी जिले में अतिरिक्त अधिकारी के रूप में होती है तो इसे कम नहीं किया जाता है। एसपी या, जैसा भी मामला हो, एसपी के रूप में। प्रस्तुतिकरण स्वीकार करना ज़ाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम।

अपीलार्थियों की याचिका एक स्पष्ट विसंगति का कारण बनेगी। एक डी. सी. पी., एक आयुक्तालय में तैनात होने के दौरान, एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 18 (1) के तहत एक स्वीकारोक्ति दर्ज कर सकता है (एक बिंदु जो अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान विवादित नहीं है)। फिर भी, यदि अपीलार्थियों का निवेदन स्वीकार किया जाता है, तो एक डी. सी. पी. जो किसी जिले में अतिरिक्त एस. पी. के रूप में स्थानांतरण पर है, धारा 18 (1) के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए अयोग्य होगा। अतः, अपीलार्थियों की प्रस्तुतियों में एक स्पष्ट भ्रांति है।

62. न्यादार सिंह बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ। भारत संघ 30

(यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 311 के संदर्भ में) "श्रेणी" अभिव्यक्ति के अर्थ को समझने के लिए उपयोगी हैं:

रैंक में कमी के दंड का प्रभाव एक को हटाने का है किसी वर्ग या श्रेणी या पद की श्रेणी से सरकारी कर्मचारी

किसी निम्न वर्ग या श्रेणी या श्रेणी के लिए। हालांकि सरकार ने

हालाँकि, जुर्माने के परिणामस्वरूप नौकर को सेवा में रखा जाता है।

उसे या तो अस्थायी रूप से या उसके द्वारा धारण किए गए पद से हटा दिया जाता है

स्थायी रूप से और एक छोटे से पद पर सेवा में बनाए रखा। अभिव्यक्ति

" पद ", पद में कमी में अनुच्छेद 311 (2) के प्रयोजनों के लिए है

समान वर्ग या श्रेणी में सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता या श्रेणी "।

(जोर दिया गया)

63. यह हमारा विचार है कि "श्रेणी" अभिव्यक्ति को समझा जाना चाहिए।

एक वर्ग या श्रेणी के रूप में जिसमें कई पद शामिल हैं। एसपी, एडिशनल के पद। एस. पी. और डी. सी. पी. सभी एक ही पद के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे समान कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हैं और समान क्षेत्रों में काम करते हैं।

प्राधिकरण। एक विशेष पद के भीतर प्रत्येक व्यक्ति समान वरिष्ठता का नहीं होगा। एक ही रैंक के अधिकारी अलग-अलग वर्षों से सेवा में हो सकते हैं। कभी-कभी, यह उस पद पर भी लागू हो सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, लेकिन उनका पद अबाधित रहता है। किसी विशेष अधिकारी की वरिष्ठता में अंतर उनके रैंक में अंतर के समान नहीं है। अधिकारियों की वर्दी पर प्रतीक चिन्ह, इस मामले में, उनकी वरिष्ठता के साथ-साथ उनके पदनाम को भी दर्शाता है।

कर्री 3 1 31 एक अतिरिक्त का आग्रह करने के लिए। एस. पी. को एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने का अधिकार नहीं है। सूर्य शंकरम कर्री (ऊपर) में निर्णय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित पी. सी. अधिनियम की धारा 17 के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि धारा 13 (1) (ई) के तहत अपराध की जांच किसी पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी जो एस. पी. के पद से कम न हो। दूसरे शब्दों में, एस. पी. रैंक के पुलिस अधिकारी को किसी अपराध की किसी भी जांच को अधिकृत करना चाहिए।

धारा 13 (1) (ई) के तहत कथित रूप से किया गया है। उस मामले में जांच अधिकारी ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश करने में असमर्थ था जो यह साबित करता हो कि

कि उन्हें जांच करने के लिए एस. पी. द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि पी. सी. अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

66. सूर्य शंकरम कर्री (उपरोक्त) में निर्णय अपीलार्थियों के लिए कोई सहायक नहीं है क्योंकि अदालत के पास पद और पदनाम के बीच अंतर पर चर्चा करने या उन शर्तों का पता लगाने का अवसर नहीं था जिनके तहत अधिकारियों को समकक्ष पद का कहा जा सकता था। उस मामले में विचार के लिए सवाल यह नहीं था कि क्या कोई अधिकारी जिसके पास था

जांच को अधिकृत करने वाले को एसपी के समान रैंक का कहा जा सकता है, लेकिन क्या कोई प्राधिकरण मौजूद था। वर्तमान मामले में, प्राधिकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि एम. सी. ओ. सी. ए. स्वयं किसी को भी अधिकार देता है।

स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए एस. पी. के पद से नीचे का अधिकारी नहीं। एस. पी. (या समकक्ष रैंक के अधिकारी) को रिकॉर्डिंग से पहले अपने से वरिष्ठ अधिकारी या सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकारोक्ति।

67. अपीलार्थी मध्य प्रदेश राज्य बनाम पर भी भरोसा करते हैं। चुन्नी लाल 3 3 33 एक अतिरिक्त द्वारा दर्ज किए गए उस स्वीकारोक्ति का आग्रह करने के लिए। एस. पी. सबूत में अस्वीकार्य हैं क्योंकि एक अतिरिक्त। एस. पी. का पद एस. पी. के बराबर नहीं है। चुन्नी लाल (ऊपर) में, प्रतिवादी पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989.34 नियम 3 31 (2006) 7 SCC 172 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था

32 " पी. सी. अधिनियम "

33 (2009) 12 एस. सी. सी. 649

34 " एससी/एसटी अधिनियम "जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

7 (1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 199535 में कहा गया है कि अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच "पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी" द्वारा की जाएगी। चुन्नी लाल मामले की जांच (ऊपर) एक उप-निरीक्षक द्वारा संचालित किया गया था और इसलिए, अवैध और अमान्य पाया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी धारा 9 और नियम 7 (1) में वैधानिक आवश्यकता के कारण अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में एक जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि उप-निरीक्षक का पद उप-पुलिस अधीक्षक से कम था। सक्षम प्राधिकारी ने गलती से एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया था जिसे अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं दिया जा सका था। इसी तरह, मध्य प्रदेश राज्य बनाम में निर्णय। बब्बू राठौर 3 6 एक ऐसे मामले से संबंधित है जहाँ एक उप-निरीक्षक

एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच की। वहाँ की जाँच को भी चुन्नी लाल (उपरोक्त) के समान कारणों से अमान्य और अवैध पाया गया। इन मामलों में इस बात पर चर्चा की आवश्यकता नहीं थी कि कब एक अधिकारी को डिप्टी एसपी के समान रैंक का कहा जा सकता है। यही कारण है कि चुन्नी लाल (ऊपर) और बब्बू राठौर (ऊपर) के फैसलों का समर्थन करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थियों का प्रस्तुत करना कि एक अतिरिक्त। एस. पी. का पद एस. पी. के बराबर नहीं है।

68. पंजाब राज्य में v. हरदियाल सिंह, 3 7 एसपी (डी) ने एक डिप्टी एसपी को एससी/एसटी के तहत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया।

एक्ट करें। हालांकि, एससी/एसटी नियमों के नियम 7 (1) में कहा गया है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक या एसपी द्वारा की जानी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक पुलिस अधीक्षक (डी) जांच करने के लिए एक उप पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि एक पुलिस अधीक्षक (डी) उसके जिले का प्रभारी नहीं था। ऐसा करने की शक्ति केवल तीन प्राधिकरणों के पास है जो

एससी/एसटी नियम अर्थात राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक और एसपी। एससी/एसटी नियमों और मकोका में क्रमशः उपयोग की जाने वाली भाषा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एससी/एसटी नियमों के नियम 7 (1) में कहा गया हैः

" अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। जाँच अधिकारी की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाएगी।

35 " एससी/एसटी नियम " 36 (2020) 2 एस. सी. सी. 577

37 (2009) 15 एससीसी 106 [2022] 9 एस. सी. आर.

सरकार/पुलिस महानिदेशक/पुलिस अधीक्षक

पुलिस उसके पिछले अनुभव, क्षमता की भावना को ध्यान में रखते हुए

और मामले के निहितार्थ को समझने और जांच करने के लिए न्याय कम से कम संभव समय के भीतर सही रेखाओं के साथ।

(जोर दिया गया)

एक व्यक्ति द्वारा एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया जो रैंक से नीचे नहीं है पुलिस अधीक्षक और ऐसे पुलिस द्वारा अभिलिखित

अधिकारी या तो लिखित रूप में या कैसेट जैसे किसी भी यांत्रिक उपकरण पर, टेप या ध्वनि ट्रैक जिनसे ध्वनियाँ या चित्र आ सकते हैं

पुनरुत्पादित, ऐसे व्यक्ति या सह के मुकदमे में स्वीकार्य होगा

अभियुक्त, उकसाने वाला या षड्यंत्रकारीः

बशर्ते कि सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता पर आरोप लगाया जाए

और अभियुक्त के साथ एक ही मामले में मुकदमा चलाया

(जोर दिया गया)

69. एससी/एसटी नियमों के नियम 7 (1) से संकेत मिलता है कि

राज्य सरकार, केवल वही व्यक्ति जिन्हें पुलिस महानिदेशक या एसपी के रूप में नामित किया गया है, एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। धारा 18 (1) एम. सी. ओ. सी. ए. के विपरीत, नियम 7 (1) में पुलिस महानिदेशक या एस. पी. के समकक्ष रैंक के अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत, धारा 18 (1) एम. सी. ओ. सी. ए. स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों को निहित करती है जो एस. पी. के समान रैंक के हैं। उस शक्ति को एस. पी. को सौंपने के अलावा, इकबालिया बयान दर्ज करें। यह "पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे नहीं" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। एससी/एसटी नियम सक्षम प्राधिकारी के पदनाम से संबंधित हैं जबकि मकोका संबंधित अधिकारी के पद से संबंधित है। अतः, अपीलार्थी इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं -

हरदियाल सिंह (ऊपर) ने तर्क दिया कि एक अतिरिक्त। एस. पी. का पद एस. पी. के बराबर नहीं है।

iii. मकोका के आह्वान के लिए शर्तें

70. यह अपीलार्थियों का मामला है कि मकोका के प्रावधान

वैध रूप से लागू नहीं किया गया है। उनके तर्क (जो प्रस्तुतियों पर खंड में नोट किए गए हैं) को नीचे संबोधित किया गया है।

जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ए। धारा 23 (1) (ए) मकोका के तहत अनुमोदन आदेश अपराध के संबंध में है न कि अपराधी के संबंध में।

71. अपीलार्थी महाराष्ट्र राज्य बनाम पर भरोसा करते हैं। ललित सोमदत्त नागपाल 3 8 ने तर्क दिया कि 10 अप्रैल 2019 के अनुमोदन के आदेश को दिमाग का उपयोग न करने से दूषित किया गया है। इस न्यायालय ने कहा कि उस मामले में धारा 23 (1) (ए) के तहत अनुमोदन आदेश में एक आरोपी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। यह चूक आंशिक रूप से एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत कार्यवाही को अलग करने के अपने फैसले का कारण थी। उक्त अभियुक्त के प्रति सम्मान। हालाँकि, यह एकमात्र कारक नहीं था जिसका अदालत के फैसले पर असर पड़ा। अदालत को कार्यवाही को रद्द करने के लिए भी राजी किया गया क्योंकि अधिकारियों ने संबंधित आरोपी को उल्लंघन के संबंध में मकोका के तहत आरोपों में आरोपित किया था

बिक्री कर और उत्पाद शुल्क कानून। अदालत ने पाया कि बिक्री कर और उत्पाद शुल्क कानूनों के उल्लंघन का उद्देश्य मकोका को आकर्षित करना नहीं था और मकोका के प्रावधानों के तहत किसी आरोपी पर आरोप लगाने के लिए कुछ हद तक जबरदस्ती या हिंसा की आवश्यकता थी।

72. धारा 23 (1) (ए) मकोका के तहत अनुमोदन के आदेश में शुरुआत में प्रत्येक आरोपी व्यक्ति का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर, सीमित जानकारी

किसी अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करते समय जांच अधिकारियों के लिए उपलब्ध है। पुलिस द्वारा जाँच के दौरान शुरू में नामित लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। वास्तव में, जाँच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या कोई अपराध किया गया है और यदि ताकि अपराधियों की पहचान सहित अपराध के विवरण पर प्रकाश डाला जा सके। यह हर अपराध के लिए सच है लेकिन विशेष रूप से मामले में सच है।

जहाँ एक संगठित अपराध सिंडिकेट में विभिन्न क्षमताओं में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। धारा 23 (1) (ए) मकोका संगठित अपराध के अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने की बात करती है, न कि अपराधी के बारे में जानकारी दर्ज करने की। सक्षम प्राधिकारी रिकॉर्ड कर सकता है धारा 23 (1) (ए) के तहत जानकारी एक बार यह संतुष्ट होने पर कि एक संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा एक संगठित अपराध किया गया है।

73. विनोद जी असरानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 39 इस न्यायालय ने एम. सी. ओ. सी. ए. की योजना और सी. आर. पी. सी. की समानताओं को देखा कि जाँच पूरा होने के बाद व्यक्तियों पर अपराध करने का आरोप लगाया जा सकता हैः

38 (2007) 4 एससीसी 171

39 (2007) 3 एससीसी 633 [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9. ..... दंड प्रक्रिया संहिता की योजना यह स्पष्ट करती है कि एक बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत अपराध करने की जानकारी प्राप्त हो जाने पर,

जाँच अधिकारी जाँच करते हैं और फाइल करते हैं

जाँच के दौरान जो कोई भी इस तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है, उसके खिलाफ आरोप पत्र। ऐसा कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है कि पहली सूचना रिपोर्ट हमेशा होनी चाहिए।

इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं

एक अपराध का कमीशन। अक्सर एफ. आई. आर. में दोषियों के नामों का उल्लेख भी नहीं किया जाता है और वे केवल जाँच के चरण में सामने आते हैं। धारा 23 के तहत योजना एम. सी. ओ. सी. ए. समान है और धारा 23 (1) (ए) एक सुरक्षा प्रदान करती है कि एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत किसी अपराध की कोई जांच नहीं होनी चाहिए।

इस तरह की मंजूरी मिलने के बाद जांच शुरू की जाती है। जो लोग बाद में संगठित अपराध में शामिल पाए जाते हैं, उनके खिलाफ एक बार बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई की जा सकती है। उनके खिलाफ मकोका की धारा 23 (2) के तहत मंजूरी प्राप्त की जाती है।

10. यह पूछे जाने पर कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ मकोका के तहत अभियोजन के लिए कोई अपराध किया गया है, उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि आरोपी को पर्याप्त अवसर मिलेगा।

विशेष न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए "।

74. कविता लंकेश बनाम। कर्नाटक राज्य, 40 और तीन-न्यायाधीश

1 इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कर्नाटक नियंत्रण गैनाइज्ड अपराध अधिनियम 2000 के तहत पूर्व अनुमोदन अपराध से संबंधित था और नहीं

अपराधीः

" 27. 2000 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत पूर्व अनुमोदन देने के चरण में, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी को पूर्व अनुमोदन देने के प्रस्ताव के साथ जांच एजेंसी द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री को देखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्येक अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका का पता लगाएँ। योग्य व्यक्ति

प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या सूचना/सामग्री एक ऐसे अपराध के होने का खुलासा करती है जो संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किया गया एक संगठित अपराध है। इसमें, पूर्व अनुमोदन अपराध है न कि अपराधी के रूप में

इस तरह "।

1 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 956 ज़ाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। राज्य

हरास्त्र [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

23 (1) (क) इसकी वैधता निर्धारित करते समय महत्वहीन है। 75. कविता लंकेश (ऊपर) में न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित कियाः

" 27. ..... जब तक पहले के अपराधों में उल्लिखित घटनाएं व्यक्तियों के एक समूह द्वारा की जाती हैं और सभी घटनाओं में एक आम व्यक्ति शामिल होता है, तब तक 2000 के अधिनियम के तहत अपराध को लागू किया जा सकता है।

बी। अपीलार्थी पर कुछ अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है।

के आरोप के संबंध में मकोका के तहत दंडनीय

अवैध जुआ।

76. अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि जुआ खेलने के लिए दंडनीय है -

2 साल की अधिकतम सजा और इसलिए, एम. सी. ओ. सी. ए. के अंतर्गत नहीं आता है (जिसके लिए 3 साल या उससे अधिक के दंडनीय कारावास के अपराध की आवश्यकता होती है)। हालाँकि, मकोका के तहत होने वाले सभी अपराधों के लिए यह आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थियों ने मकोका के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए हैंः

ए। धारा 3 (1) अर्थात, संगठित अपराध करने के अपराध के लिए अभियुक्त से एक संज्ञेय अपराध करने की अपेक्षा की जाती है जो तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है।

बी। धारा 3 (2) के एक भाग में भी धारा 3 (1) के समान आवश्यकता है, अर्थात् व्यक्तियों पर साजिश रचने, करने का प्रयास करने, वकालत करने या जानबूझकर संगठित अपराध या संगठित अपराध की तैयारी करने वाले किसी कार्य को करने में सहायता करने का आरोप लगाया जा सकता है, केवल तभी जब विचाराधीन अपराध संज्ञेय हो, जो कम से कम तीन साल के कारावास से दंडनीय हो। हालाँकि, जिन पर आयोग को उकसाने का आरोप है

संगठित अपराध के लिए स्वयं पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है

कम से कम तीन साल के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध करना। उन्हें केवल उन लोगों को उकसाने की आवश्यकता है जो कम से कम तीन साल के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध करने के दोषी हैं, जो अपराध एक संगठित अपराध के बराबर है। ऐसे मामलों में धारा 2 (1) (ए) में "उकसाने" की परिभाषा लागू होगी।

सी। धारा 3 (4) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो एक का सदस्य है

संगठित अपराध सिंडिकेट को दंडित किया जा सकता है। द.

धारा 2 (1) (च) में संगठित अपराध सिंडिकेट की परिभाषा इंगित करती है कि सदस्य माने जाने के लिए संगठित अपराध में लिप्त होना आवश्यक है। धारा 2 (1) (ई) इंगित करती है कि व्यक्ति

कहा जाता है कि जब वे गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने में शामिल होते हैं तो वे संगठित अपराध करते हैं। गैरकानूनी गतिविधि को जारी रखने का अर्थ है एक निषिद्ध गतिविधि जो एक संज्ञेय अपराध है।
कम से कम तीन साल के कारावास से दंडनीय।

डी। धारा 3 (5) में कहा गया है कि जो लोग किसी संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त किसी संपत्ति को रखते हैं या जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट फंड के माध्यम से अर्जित किया गया है, उन्हें दंडित किया जा सकता है। एक बार फिर, एक संगठित अपराध की परिभाषा के लिए एक संज्ञेय अपराध करने की आवश्यकता होती है।

तीन साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध। अतः धारा 3 (5) मकोका को केवल उन अपराधों के संबंध में लागू किया जा सकता है जो कारावास से दंडनीय हैं।

तीन साल से अधिक।

77. उपरोक्त विश्लेषण से, अपीलकर्ताओं का यह निवेदन कि अवैध जुए में शामिल होने का आरोप आह्वान को कायम नहीं रखेगा

धारा 3 (2) एम. सी. ओ. सी. ए. के दंडात्मक प्रावधानों में से कुछ सरल हैं। हालाँकि जुआ अपने आप में एक संगठित अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन यह वह मार्ग हो सकता है जिसके माध्यम से आरोपी संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सवाल कि क्या अपीलार्थी वास्तव में उकसाने वाले हैं इस तरह से संगठित अपराध का निर्धारण मुकदमे के चरण में किया जाना है। इसी तरह, यह सवाल कि क्या आई. पी. सी. के तहत अपराध वर्तमान मामले में एम. सी. ओ. सी. ए. को आकर्षित करेंगे, मुकदमे के चरण में निर्धारित किया जाना है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ललित सोमदत्त नागपाल (उपरोक्त) में यह अवलोकन कि मकोका के प्रावधानों के तहत किसी आरोपी पर आरोप लगाने के लिए कुछ हद तक जबरदस्ती या हिंसा की आवश्यकता होती है, धारा 2 (1) (ई) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो यह मानता है कि संगठित अपराध करते समय "अन्य गैरकानूनी साधनों" का उपयोग किया जा सकता है।

जबरदस्ती और हिंसा के अलावा।

सी। एक से अधिक आरोप पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति का सम्मान करना।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया है कि पिछले दस वर्षों में उनमें से प्रत्येक के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर नहीं किए गए हैं। इस समर्पण में पानी नहीं होता है। यह तय किया गया कानून है कि एक से अधिक जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आरोप पत्र संगठित अपराध सिंडिकेट के संबंध में दायर किया जाना आवश्यक है न कि प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में जो इस तरह के सिंडिकेट का सदस्य होने का आरोप है।

78. गोविंद सखाराम उबे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 4 1 ए

बंबई उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति रंजना देसाई (उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए कहा किः

" 37 ..... धारा 2 (1) (डी) जो "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" को परिभाषित करती है, 10 साल की अवधि निर्धारित करती है जिसके भीतर एक से अधिक आरोप लगाए जाते हैं।

पत्रक दाखिल करना होगा। यह संगठित अपराध सिंडिकेट की सदस्यता है जो किसी व्यक्ति को मकोका के तहत उत्तरदायी बनाती है। यह मकोका की धारा 3 (4) से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम नहीं होगा।
पाँच साल से अधिक लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, न्यूनतम रुपये के जुर्माने के अधीन। 5 लाख। एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो

संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य संगठित अपराध करता है

अर्थात् आर्थिक लाभ के लिए धमकी आदि देकर जबरन वसूली के कार्य

अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में अकेले या संयुक्त रूप से लाभ या सर्वोच्चता। आरोप गैरकानूनी गतिविधियों के संबंध में है

संगठित अपराध सिंडिकेट। इसलिए, यदि एक अवधि के भीतर

पिछले दस वर्षों में, किसी विशेष राज्य के सदस्यों द्वारा किए गए संगठित अपराध के संबंध में एक आरोप पत्र दायर किया गया है।

अपराध सिंडिकेट, उक्त आरोप पत्र आवेदन के उद्देश्य से उक्त अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के खिलाफ लिया जा सकता है।

उसके खिलाफ मकोका भले ही वह एक मामले में शामिल हो।

उसके द्वारा किया गया संगठित अपराध इसका एक हिस्सा होगा

संगठित अपराध सिंडिकेट की गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना। जो महत्वपूर्ण है वह है संगठित अपराध सिंडिकेट के साथ व्यक्ति की सांठगांठ या संबंध। 'संगठित अपराध सिंडिकेट' के साथ संबंध 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' शब्द का मूल है। यदि यह लिंक स्थापित नहीं है, तो उस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है। "

79. अन्य अदालतों ने भी माना है कि जिन व्यक्तियों पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य होने का आरोप है, उनके पास इससे अधिक होने की आवश्यकता नहीं है।

उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दायर एक आरोप-पत्र। बल्कि, संगठित अपराध सिंडिकेट के संबंध में आरोप पत्र धारा 2 (1) (डी) की शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

41 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 770 एम. ई. अदालत की रिपोर्ट

उपरोक्त कारणों से, हम ऐप में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और खारिज कर देते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि रिहाई के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की इच्छा है

कथित स्वीकारोक्ति के संबंध में मूल्य पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा और

में एक अधिकारी द्वारा दर्ज किया जा रहा है

पुलिस को अप्रूवल नहीं माना जाएगा।

इसके द्वारा कथित स्वीकारोक्ति की गंदी प्रकृति आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलें

हौधरी, एलसीआरए)